Website : www.akhilbharathindumahasabha.org
E-mail : editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org

प्रत्येक बुधवार को प्रकाशित

प्रति अंक मूल्य 4 रुपये

अखिल भारत हिन्दू महासभा का मुखपत्र

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

वर्ष- 41 अंक-31
कल्पादि सम्वत् 1972949117

सम्पादक
मुन्ना कुमार शर्मा

दिनांक 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2017 तक
कार्तिक शुक्ल पंचमी से कार्तिक शुक्ल दशमी 2074 तक

वार्षिक शुल्क 150 रुपये
पृष्ठ संख्या 12

महिला अधिकारों.... पृष्ठ- 3

स्वास्थ्य लाभ हेतु कुछ..... पृष्ठ- 4

वाह बुढ़ापा... पृष्ठ- 5

हिन्दू अस्तित्व और... पृष्ठ- 8

अब तो प्रदूषण... पृष्ठ- 12

- अच्छे दिनों के इंतजार में जनता हुयी बेहाल
- अंधभक्ति का दुष्परिणाम विवश प्रशासन व पीड़ितजन
- भारतीय संविधान की विसंगतियाँ
- क्या इस देश में बहुसंख्यक होना अपराध है?
- दस्तक–कसौटी पर देशभक्ति

हाफिज सईद की नजरबंदी होगी खत्म! पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में नहीं दिए सबूत

पाकिस्तान का असली चेहरा हुआ उजागर–हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

लाहौर हाई कोर्ट ने आगाह किया है कि अगर पाकिस्तान सरकार मुंबई आतंकवादी हमले के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ सबूत दाखिल नहीं करती है तो उसकी नजरबंदी रद्द कर दी जाएगी। जमात उद–दावा का प्रमुख सईद ३१ जनवरी से ही नजरबंद है, लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी हिरासत के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की। माना जा रहा था कि इस सुनवाई में गृह सचिव उसकी हिरासत से संबंधित शेष पृष्ठ 11 पर

भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के अपराध कतई बर्दाश्त न किये जायें

संयुक्त राष्ट्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता–हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

भारत ने दुनिया भर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा किये गये आपराधिक कृत्यों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति की मांग करते हुये कहा कि ऐसे अपराध विश्व निकाय की छवि और विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक समिति की बैठक को संबोधित करते हुये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव येडला उमाशंकर ने कहा कि एक व्यापक स्तर पर कुछ मामलों में जवाबदेही का मुद्दा भटकाने वाला रहता है क्योंकि इसके साथ सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता और न्यायक्षेत्र के कानूनी पहलुओं की जटिलतायें जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा ऐसा संयुक्त राष्ट्र के कानूनी व्यक्तित्व की वजह से हो सकता है जिसकी वजह से एक देश में संयुक्त राष्ट्र के अभियान के लिये आवश्यक प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार दिये जाते हैं। इसके साथ ही यह सदस्य राष्ट्र की काम करने की क्षमता और आरोपी की जांच तथा अभियोजन को लेकर उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के लिये काम करने के दौरान संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों द्वारा किये गये किसी अपराध की जवाबदेही का मुद्दा अहम है। भारतीय राजनयिक ने कहा संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों द्वारा किये गये कुछ घटनायें या आरोप के मामले संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था और दुनिया भर में उसके काम की छवि और जवाबदेही को काफी नुकसान पहुंचाने वाली रहीं। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत को शीघ्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाये।

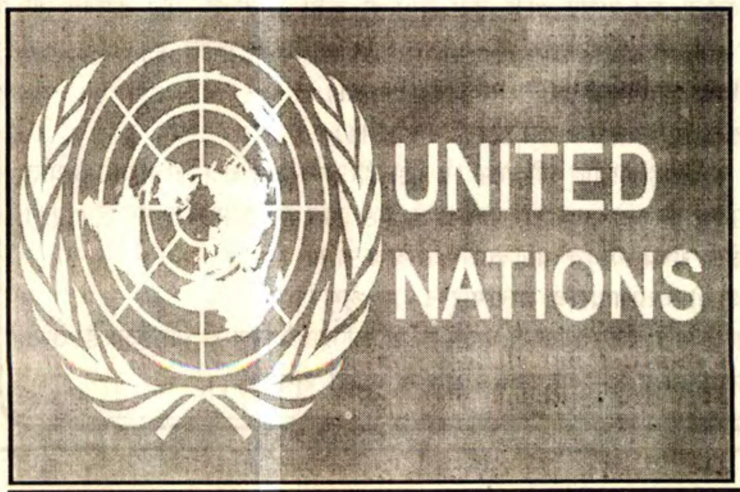

जोशीमठ के गुरुद्धारे में नमाज पढ़ी गई

जोशीमठ बकरीद पर नगर में भारी बारिश हो रही थी। ऐसी स्थिति में ईदगाह में नमाज पढ़नी सम्भव नहीं लग रही थी। दूरदर्शन पर दिखाया गया कि नमाज नगर के गुरुद्धारे के हाल में पढ़ी गई। ऐसी स्थिति कई साल पहले भी हुई थी तब भी गुरुद्धारे में ही नमाज पढ़ी गई थी।

प्रतिक्रिया

१. मुर्दा हिन्दू को सजग करने के लिए १६६६ ई० में सिख पंथ की स्थापना की गई।

२. सिख पंथी सेना में भी अच्छी संख्या में हैं।

३. जागरूकता के ज्वलंत प्रमाण है कि १६२५ से इनका अपना राजनीतिक दल अकाली दल भी है।

४. इसी संविधान ने इन्हें छह इन्ची/१५ एम० एम० की तलवार धारण करने का अधिकार भी दिया है।

५. विपरीत मत वालों को गुरुद्धारा का हाल देना गलत कार्य है।

६. मुस्लिमों से कह देना चाहिए था कि वे अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें क्योंकि गुरुद्धारा नहीं दिया जा सकता है।

७. मुर्दा हिन्दू तो अति उदार है लेकिन सिख धर्मी तो अति बहादुर हैं अतः उनसे निवेदन है कि वे उदारता का अवगुण न अपनाएँ।

इन्द्रदेव गुलाटी, संस्थापक सदस्य, पूर्व प्रधान

उर्दू दिवस (६ नवम्बर)

- यह विदेशी भाषा है जो अरबी लिपि में दाएं से बांई ओर लिखी जाती है।
- मुगलों के शासन काल में यह सरकारी भाषा रही थी।
- जिन्ना ने १६४७ में कहा था कि देश विभाजन का श्रेय उर्दू को है।
- पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू ही है। लाहौर के मुस्लिम अभी भी पंजाबी बोलते हैं लेकिन लिखने का कार्य अरबी लिपि में ही होता है।
- उदारवादी–उदूरदर्शी–स्वार्थी नेताओं ने खण्डित भारत के संविधान की आठवीं अनुसूचि में उर्दू को स्थान देकर भयंकर गलती की।
- बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज भाषा का स्थान देकर हिन्दी का महत्व कम कर दिया।
- उत्तरी भारत के मुस्लिम नेता शुद्ध हिन्दी बोलते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी जनगणनी में इन्हें उर्दू भाषी लिख देते हैं।
- मुस्लिम घरों–दुकानों पर प्रायः हिन्दी के दैनिक अखबार ही पढ़े जा रहे हैं।
- १६७१ में उर्दू ही के कारण पाकिस्तान टूटा और पूर्वी पाकिस्तान बांग्ला भाषी बांग्ला देश बना।
- आश्चर्य है कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बांग्ला की जगह उर्दू को पसन्द कर रहे हैं। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।
- कश्मीर घाटी के मुस्लिम कश्मीरी भाषा की अपेक्षा उर्दू को अपना रहे हैं।
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और उसकी शाखाओं में ग्यारहवीं से लेकर चौदहवीं कक्षा तक उर्दू को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया गया है।
- लखनऊ मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों में उर्दू में भी नाम लिखवाए गए हैं।
- उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने के विरोध में, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली फिर भी मैं उनके प्रयास व संघर्ष की प्रशंसा करता हूं। उनके कार्यों से संघर्ष करने की प्रेरणा लेनी चाहिए।

इन्द्रदेव, संस्थापक सदस्य, नगर आर्य समाज, बुलन्दशहर

साप्ताहिक राशिफल

मेष- इस सप्ताह लम्बे समय से रूके हुये कार्यों में प्रगति होगी। योजनाओं को मूर्त रूप देने में बाधायें आयेंगी किन्तु निरन्तर प्रयास के आगे बाधाओं को भी हार मानना होगा। धार्मिक यात्रा के प्रबल योग हैं। धार्मिक आडम्बरों से बचें।

वृष - इस सप्ताह कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्या में सफलता प्राप्त होगी। भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनानी होगी। किसी मित्र व रिश्तेदार के कारण तनाव हो सकता है। सन्तान की ओर से सुखद समाचार मिलने का संकेत हैं।

मिथुन - इस सप्ताह भौतिक संसाधनों पर अत्यधिक व्यय रहेगा जिससे आप थोड़ा सा चिन्तित रह सकते हैं। व्यवसायी वर्ग के लिए धन का निवेश करना इस समय उचित नहीं है। मित्रों को शत्रु न बनाये अन्यथा धन की हानि होने की सम्भावना है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होंगे।

कर्क - कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में मजबूत आयेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए कुछ अच्छे लाभ के योग बनते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है। पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ होगा। व्यापारी वर्ग को अच्छे लाभ के योग है। उत्साह में वृद्धि होगी।

सिंह : इस सप्ताह आप किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे किन्तु किसी विवाद में न पड़े वरना तनाव हो सकता है। लोग आपके व्यक्तित्व के कायल रहेंगे क्योंकि आप में जो बात है,वह हर किसी में कहां आ पाती है। इसलिए अपनी उपयोगिता बनायें रखें इसी में आप का हित होगा।

कन्या : इस सप्ताह कुछ लोगों को त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी होगी। गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोग को भी नयी योजना बनाने से पूर्व अपने स्वविवेक का इस्तेमाल अवश्य करें। कुछ निज सम्बन्धों से लाभ व सहयोग की आशा नजर आ रही है।

तुला : इस सप्ताह आर्थिक परिपेक्ष्य में किये गये कार्यो में बधायें समाप्त होकर सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे है। ऑफिस के कार्यो में लोग आपका विरोध करेंगे किन्तु आपको सिर्फ रक्षात्मक रवैया ही अपनाना है। मानसिक तनाव में कुछ कमी आयेगी जिससे नयें कार्यो में मन लगेगा।

वृश्चिक : इस सप्ताह कुछ लोगों को जोखिम भरे कार्यो से बचना होगा। आपकी सफलता का काफी हद तक दारोमदार आपके दृष्टिकोण, सोच और कार्यशैली पर निर्भर है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए मन को केन्द्रित करना बेहद जरूरी है।

धनु : इस सप्ताह कुछ लोग अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित जानकारियों को बढ़ाने का अधिकाधिक कोशिश करें। यहीं नहीं उपलब्ध सूचनाओं को कन्फर्म करना भी जरूरी है। प्रतियोगिता में सबसे अहम बात है, अपने–आपको ठीक से समझकर एंव पूरी उर्जा से सत्त प्रयास करना।

मकर : इस सप्ताह कुछ लोगों के दुःख व तनाव का मुख्य कारण सिर्फ अनिर्णय की स्थिति है, और कुछ नहीं। यह समय आक्रमण करने का नहीं, बल्कि स्वयं को उर्जावान व सक्षम बनाने का है। पैतृक संपत्ति में बँटवारे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

कुम्भ : इस सप्ताह आसान काम भी चुनौती के रूप में नजर आयेंगे। मानसिक दक्षता बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे। वाणी का प्रभाव बढ़ेगा लिहाजा लोग आपकी बात को मानेंगे। जिम्मेदारी निभाने में कोई नयी रणनीति सफलता दिला सकती है। किसी विषय में आप मतिभ्रम का शिकार हो सकते है।

मीन : इस सप्ताह परिवार में विरोधाभास की स्थिति रहेगी जिसके कारण मृगतृष्णा आप पर पूरी तरह हावी रहेगी। उच्च अधिकारियों से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी इसलिए नयें पैतरें खेलने पड़ सकते है।

पं० दीनानाथ तिवारी

श्रीमद्भगवत गीता

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते।
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।।

परन्तु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेमभाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।।२०।।

अथ त्रयोदशोऽध्यायः

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेयमित्यभिधीयते।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।।

श्रीभगवान् बोले–हे अर्जुन! यह शरीर 'क्षेत्र' इस नाम से कहा जाता है; और इसको जो जानता है, उसको 'क्षेत्रज्ञ' इस नाम से उनके तत्त्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं।।१।।

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।।

हे अर्जुन! तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र–क्षेत्रज्ञको अर्थात् विकारसहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्त्व से जानना है, वह ज्ञान है–ऐसा मेरा मत है।।२।।

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत्।
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु।।

वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, और जिस कारण से जो हुआ है; तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाववाला है– वह सब संक्षेप में मुझसे सुन।।३।।

साप्ताहिक
हिन्दू सभा
वार्ता
दिनांक 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2017 तक

अध्यक्षीय

महिला अधिकारों के लिए अहम फैसला

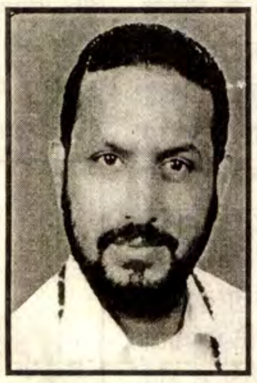

महिला और बालअधिकारों की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रेप माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की उस धारा ३७५–२ को गैर संवैधानिक बताया। जिसके मुताबिक १५ से १८ साल की बीवी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक यदि नाबालिग पत्नी एक साल के भीतर शिकायत करती है तो पति पर रेप का मुकदमा चलेगा। यूं तो बाल विवाह गैरकानूनी है और इस लिहाज से १८ साल से कम उम्र की लड़की या २१ साल से कम उम्र के लड़के का विवाह ही अपराध माना जाना चाहिए। लेकिन यह भारत की विडंबना है कि यहां आज भी बालविवाह धड़ल्ले से होते हैं। इसका सबसे ज्यादा शिकार, मासूम लड़कियां होती हैं। २०१६ के नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में तकरीबन २७ प्रतिशत लड़कियों की १८ साल की उम्र के पहले शादी हो जाती है, २००५ में ये आंकड़ा ४७ प्रतिशत के करीब था। अच्छा है कि समाज में धीरे–धीरे जागरूकता आ रही है, लेकिन अबोध बच्चियों का जीवन बचाने के लिए अब धीमी गति छोड़कर त्वरित उपाय करने होंगे। परिवार की आर्थिक–सामाजिक स्थिति, किसी मजबूरी या धमकी के कारण या कभी खुद की मर्जी से भी अगर कोई किशोरी १८ साल से पहले विवाह के बंधन में बंधती है, तो यह उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। इसलिए बालविवाह पूरी तरह खत्म होने ही चाहिए। बच्चों के अधिकारों से जुड़ी इंडिपेन्डेंट थॉट नामक एक संस्था ने २०१३ में एक याचिका दायर की थी कि १८ साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों को बलात्कार मानना चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि बाल विवाह से बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बाल विवाह बच्चों पर एक तरह का जुर्म है क्योंकि कम उम्र में शादी करने से उनका यौन उत्पीड़न ज्यादा होता है, ऐसे में बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। याचिका में कहा गया था कि १५ से १८ वर्ष की लड़कियों की शादी अवैध नहीं होती है, लेकिन इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल आईपीसी की धारा ३७५ सेक्शन २ के मुताबिक १५ से १८ साल की पत्नी के साथ यौन संबंध को रेप की परिभाषा से बाहर रखा गया था। इस तरह तो विवाह की आड़ में बाल यौन शोषण हो ही रहा था। यह पोक्सो कानून की भावना के भी खिलाफ था। पोक्सो यानी प्रिवेंशन आफ चिल्ड्रन फ्रम सेक्सुअल आर्फेस, देश में बाल यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। पोक्सो कानून में किशोरी को परिभाषित करते हुए उसकी उम्र १८ साल बताई गई है। इसी तरह से जुविनाइल जस्टिस एक्ट में भी किशोर–किशोरियों की परिभाषा भी १८ साल बताई गई है। केवल आईपीसी की धारा ३७५ सेक्शन २ में ही किशोरी की परिभाषा अलग थी। अब इस फैसले से यह विसंगति भी दूर होगी। इससे पहले इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत से आग्रह किया था कि वह इस धारा को रद्द न करे और संसद को इस पर विचार करने और फैसला करने के लिए समयसीमा तय कर दे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बाल विवाह सामाजिक सच्चाई है और इस पर कानून बनाना संसद का काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सती प्रथा भी सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उसे भी खत्म किया गया। जरूरी नहीं जो प्रथा सदियों से चली आ रही हो वो सही हो। बाल विवाह मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये मैरेज नहीं मिराज है। उम्मीद की जाना चाहिए कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का समाज सम्मान करेगा और अपनी बच्चियों की सुरक्षा के बारे में सोचेगा।

राष्ट्रीय उद्बोधन
चन्द्र प्रकाश कौशिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष

E-mail : chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org

सम्पादकीय

अच्छे दिनों के इंतजार में जनता हुयी बेहाल

भारतीय रिजर्व बैंक के हाल में आये कंज्यूमर क्रांफिडेंस सर्वे से यह बात सामने आयी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों में एक प्रकार का निराशा का भाव है। इसी साल कुछ महीने पहले भी आरबीआइ ने एक ऐसा ही सर्वे किया था, जिसमें उसने पाया था कि बेरोजगारी और अपनी आय को लेकर आम आदमी में निराशा की भावना साल २०१३–१४ में खराब अर्थव्यवस्था के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रबल थी। आरबीआइ ने एक और सर्वे किया था जनवरी–मार्च २०१७ में और उस सर्वे में उसने छोटे उद्योगों से बात करके यह आंकड़ा पाया था कि उनकी बिकवाली करीब ५८ प्रतिशत कम हो गयी थी। यहां हम यह समझ सकते हैं कि छोटे उद्योगों की क्या हालत हुई होगी और उससे जुड़े लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा होगा। अगर कोई इसका कारण पूछे, तो करीब सारे अर्थशास्त्री इसका कारण नोटबंदी और जीएसटी को बतायेंगे। क्योंकि आज जीएसटी की वजह से, छोटे व्यापारियों को टैक्स भरना बहुत महंगा पड़ रहा है। नोटबंदी और जीएसटी से देश के आर्थिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ा है। एक तरफ बेरोजगारी का संकट है, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। मुद्रास्फीति बढ़ रही है और विकास दर कम हो रही है। अर्थव्यवस्था की यह हालत ही लोगों में निराशा की भावना उत्पन्न होने का कारण है। भारत में ५५–६० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और भारतीय कंपनियों के लिए वह एक बड़ा बाजार है। नोटबंदी के बाद से जब ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की किल्लत बढ़ी, तो उससे षि उत्पादन पर असर पड़ा और ग्रामीणों की आय भी कम हो गयी। इसका कारण यह हुआ कि कंपनियों के लिए ग्रामीण बाजार में अपना कारोबार करना मुश्किल होने लगा, क्योंकि खरीद क्षमता कम हो गयी। इसी साल के जून में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने शोध में यह पाया था कि १२ सौ कंपनियों के उत्पादन में साढ़े आठ–नौ प्रतिशत तक की गिरावट आयी थी। इस तरह से उत्पादन–मांग–खरीद क्षमता आदि का चेन कमजोर हो गया। ठीक इसी समय में जीएसटी भी आ गया, जिसने कारोबार मुश्किल होने लगाए क्योंकि उसकी प्रक्रिया में कई मुश्किलें–परेशानियां हैं। सरकार ने कई चीजों पर २८ प्रतिशत की जीएसटी लगायी है, जबकि दुनिया के किसी भी देश में १६ प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी नहीं है। इसका सीधा नुकसान कारोबार पर पड़ा है। जिस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ने लगी है, उससे सरकार घबरा गयी और फिर उसने जीएसटी में फेरबदल करके कुछ चीजों पर लगे २८ प्रतिशत को १८ प्रतिशत कर दिया है और १२ प्रतिशत को ५ प्रतिशत कर दिया है। यह तो ऐसा लगता है जैसे सरकार ने एक मिनी बजट पेश कर दिया है, क्योंकि ऐसे काम बजट में होते हैं, जब सरकार बड़ी तादाद में टैक्स कम करती है। सरकार को यह सब जीएसटी लागू करने से पहले सोचना चाहिए था और प्रक्रिया को बेहतर बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आम भारतीयों की निराशा जायज है और इसका असर मार्केट पर पड़ना ही पड़ना है। यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी की बात सही है, सरकार ने इतने कड़े कदम उठाये हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है और उनमें निराशा बढ़ रही है। ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे, जॉन मेनार्ड कीन्स। विश्व युद्ध के बाद जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक थ्योरी दी थी– इन द लांग रन, वी आर ऑल डेड। इस थ्योरी के तहत कीन्स ने समझाया था कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लांग टर्म के नाम पर सरकार को दो–तीन–चार साल का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी जनता को तुरंत राहत देनी चाहिए। इस सिद्धांत को अगर आज भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाये, तो आरबीआइ का सर्वे सिद्ध साबित होगा कि सचमुच लंबे समय के इंतजार में ही आम जनता में निराशा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि फिलहाल वह परेशानी में है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिस तरह से जीएसटी में कुछ राहत दी है, उसी तरह से शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रावधान निकाले, जो जनता को तुरंत राहत पहुंचानेवाला हो। दूसरी बात यह है कि सरकार का वित्तीय घाटा भी बढ़ रहा है, क्योंकि जीएसटी से जितनी आमदनी की उम्मीद थी, उतनी हो नहीं रही है। कुल मिलाकर अब यह तो अगले बजट में ही पता चल पायेगा कि इन बड़े कदमों से क्या–फायदे हुए हैं, सरकार को कितना फायदा हुआ है और उस फायदे में से जनता को क्या–क्या मिलता है।

राष्ट्रीय आह्वान
मुन्ना कुमार शर्मा
राष्ट्रीय महासचिव

E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org

स्वास्थ्य लाभ हेतु कुछ लाभकारी प्रयोग

१. आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण थोड़े-से शहद (मधु) के साथ लेकर ऊपर से दूध पी लें। यह प्रयोग कब्ज, जिगर की बीमारी, गुर्दा, शरीर के दर्दों में लाभप्रद है।

२. प्रतिदिन १०–१५ मुनक्के दूध में उबालकर खायें व उसी दूध को पी लें। यह कब्ज को दूर करने का अद्भुत प्रयोग है।

३. सौंफ और जीरा समभाग लेकर तवे पर भूनें और बारीक पीसकर ३–३ ग्राम दिन में २–३ बार पानी से खिलावें। दस्त बन्द करने के लिए यह सस्ता व अच्छा इलाज है।

४. नीम के पत्तों का १० ग्राम रस १० ग्राम शहद में मिलाकर पिलाने से उदरकृमि नष्ट हो जाते हैं।

५. बच्चों को ५–६ ग्राम नारियल का तेल पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं।

६. नागरबेल के पान को एरंड का तेल लगाकर हल्का–सा गर्म कर छोटे बच्चे की छाती पर रखकर, गर्म कपड़े से हल्का सेक करने से, बालक की छाती में भरा कफ निकल जाता है।

७. नागरबेल के पान के रस में शहद मिलाकर चाटने से छोटे बच्चों का अफरा, अपच तुरंत ही दूर होता है।

८. रोज थोड़ी–सी अजवायन से प्रसूता की भूख खुलती है, अध्दहार पचता है, अपानवायु छूटता है, कमरदर्द दूर होता है और गर्भाशय की शुद्धि होती है।

६. सरसों या तिल के तेल में तुलसी के पत्ते डालकर धीमी आँच पर रखें। पत्ते जल जाने पर उतारकर छान लें। इस तेल की दो–चार बूँदें कान में डालने से सभी प्रकार के कान–दर्द में लाभ होता है।

१०. दो तोला कालीद्राक्ष (मुनक्का) २० तोला पानी में रात्रि को भिगोकर सुबह उसे मसलकर आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण के साथ पीने से कब्जी, रक्तविकार, पित्त के दोष आदि मिटकर काया कंचन जैसी हो जाती है।

११. हरे धनिए के रस में सम मात्रा से मिश्री मिलाकर अग्नि पर चाशनी तैयार करके शरबत तैयार करें। इस २०–२५ ग्राम शर्बत में आवश्यकतानुसार जल मिलाकर पीने से अनिद्रारोग–निवृत्ति में सहायता मिलती है।

१२. बालों में जुएँ होने पर तुलसी के पत्ते पीसकर सिर पर लगा लें। तदुपरान्त सिर पर कपड़ा बाँध लें। सारी जुएँ मरकर कपड़े से चिपक जाएँगी। दो तीन बार लगाने से ही सारी जुएँ साफ हो जाएँगी।

चाय

मनुष्य शरीर पर चाय का बहुत ही खराब असर होता है। चाय प्राकृतिक स्थिति के विरुद्ध हृदय की धड़कनें बढ़ाती है। स्नायुतंत्र के ऊपर प्रकृति–विरुद्ध असर डालकर अनिद्रा का रोग उत्पन्न करती है। आरोग्यता की दृष्टि से दोनों बातें नुकसानप्रद हैं। चाय को अधिक उबालने से टेनिन नामक एसिड उत्पन्न होता है जो कि यकृत को हानि पहुँचाता है, रक्तपरिभ्रमण को सुचारू रूप से नहीं होने देता। ज्यादा उबाली चाय में यह एसिड अधिक होता है जो कि विषतुल्य काम करता है। चाय ज्ञानतंतुओं को क्षणिक उत्तेजना प्रदान करती है लेकिन बाद में ज्ञानतंतु को शक्ति क्षीण होती जाती है। यह पाचनशक्ति को भी मंद करती है, रक्त बनने की क्रिया कम हो जाती है। एक बार जिन्हें चाय की बुरी लत पड़ गई है उन्हें बिना चाय के शौच खुलकर नहीं आता।

चाय का अधिक सेवन करने से शरीर की धातुएँ क्षीण होने लगती हैं व शरीर कमजोर होता जाता है। चेहरा ओजहीन व मुरझाया–सा हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। चाय पीने से छाती में दर्द, निद्रा का नाश, वीर्य का पतला होना व जठरा मंद हो जाती है। फलस्वरूप पाचनक्रिया मंद और विकृत हो जाती है और सदा कब्ज बनी रहती है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी चाय का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे उन्हें

कब्ज, छाती में दर्द, स्नायु की दुर्बलता व हिस्टीरिया, प्रदर रोग जैसे रोगों का शिकार होना पड़ता है। वर्षा या ठंड के मौसम में गर्म पेय पीने की इच्छा होने पर चाय के बदले तुलसी, पोदीना, सोंठ, इलायची आदि का मिश्रण करके इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। यह देशी चाय जुकाम, मंदाग्नि, कफ आदि का नाश करती है।

कॉफी

सामान्यतः कॉफी के अवगुण भी चाय के ही समान हैं। अधिकांशतः लोग मस्तिष्क की थकान मिटाने के लिए कॉफी पीते हैं, साथ ही आँख व ज्ञानतंतु का कमजोर होना और पाचनक्रिया का मंद होना आदि बीमारियों को भी आमंत्रित करते हैं।

चाय–कॉफी में पोषक तत्त्वों का बिल्कुल अभाव है अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका प्रयोग अनुचित है। कॉफी के स्थान पर सेकी हुई गेहूँ से बनी आदर्श कॉफी पी सकते हैं। कासमर्द या पुवाड़िये के बीजों की कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। बाजारू आइसक्रीम का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से हितावह नहीं है क्योंकि इसमें तीस प्रतिशत बिना उबला और बिना छना पानी, छः प्रतिशत चरबी और सात–आठ प्रतिशत शक्कर होती है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य रासायनिक तत्त्वों का प्रयोग होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

एल्यूमिनियम के बर्तन खाने, पीने और पकाने के प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। इन बर्तनों में से एल्यूमिनियम धातु के बारीक कण आहार में मिलकर पेट में हल्के विष का काम करते हैं। आहार विशेषज्ञों का कहना है कि वनस्पति घी से हड्डियाँ कमजोर एवं आँखों की दृष्टि मंद पड़ती है। अतः वनस्पति घी के स्थान पर तिल या सरसों के तेल अथवा शुद्ध देशी घी का प्रयोग करें।

जाने क्यों लेते हैं हिन्दू विवाह में सात फेरे

✍ चन्द्र प्रकाश (कुमार साहब)

हिंदू विवाह के दौरान अग्नि के समक्ष सात फेरों का बड़ा महत्त्व है। इन सात फेरों के बगैर विवाह अधूरा माना जाता है। ऐसे में आइए जानें क्यों लेते हैं विवाह के ये ७ फेर

सात फेरों संग सात वचन : हिंदू शास्त्रों के मुताबिक वर–वधू अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर सात बार घूमना होता है। इसमें हर फेरे के साथ सात वचन भी लिए जाते हैं। यह वचन वर और वधू दोनों पर लागू होते हैं। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वधू जो वचन वर से माँगती है उन्हें वह अपने ऊपर भी लागू करने की हामी फेरे लेते समय भरती है।

इसलिए लेते हैं सात फेरे : शरीर में ऊर्जा के कुल सात केंद्र हैं। इन केंद्रों को चक्र कहा जाता है। जो मूलाधार यानी कि शरीर के प्रारंभिक बिंदु पर, स्वाधिष्ठान यानी कि गुदास्थान से कुछ ऊपर, मणिपुर यानी कि नाभि, अनाहत यानी हृदय, विशुद्ध यानी कंठ, आज्ञा यानी मत्था ललाट, दोनों नेत्रों के मध्य में और सहस्रार यानी शिखा केंद्र पर हैं। इन सात चक्रों से इन सात शरीरों स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, दिव्य शरीर और ब्रह्म शरीर का जुड़ाव होता है।

सात जन्मों का रिश्ता : जिससे सात फेरों के बाद ही विवाह की रस्म पूरी मानी जाती है। इसके बाद पति–पत्नी का रिश्ता सात जन्मों तक का बन जाता है। वर और वधू में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक–दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव हो जाता है। इन फेरों से मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों ईश्वर को साक्षी मानकर अपना कर्तव्य निभाते हैं।

पहला फेरा और पहला वचन : पहले फेरे में वधू वर से वचन माँगती है कि अगर वह कहीं भी तीर्थ यात्रा या फिर कहीं घूमने जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। इसके अलावा हर व्रत–उपवास और धर्म–कर्म में उसे जरूर भागीदार बनाए।

दूसरा फेरा दूसरा वचन : दूसरे फेरे में वधू वर से दूसरा वचन माँगती है कि जिस प्रकार वह अपने माता–पिता का सम्मान करते हैं। उसके माता–पिता और परिजनों का सम्मान करे। इसके अलावा कुटुम्ब की मर्यादा को बनाए रखें।

तीसरा फेरा तीसरा वचन : इस तीसरे फेरे के तीसरे वचन में वधू वर से कहती है कि वह उसे ये वचन दे कि वह उसको जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में उसका ख्याल रखेगा। अगर ऐसा है तो वह उसके साथ आने को तैयार है।

चौथा फेरा चौथा वचन : चौथे फेरे में वधू वर से चौथा वचन ये माँगती है कि अब तक वह यानी कि वर घर–परिवार की चिन्ता से पूर्णतः मुक्त था। जबकि अब विवाह बंधन में बंधने के बाद परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन दे तो वह उसके साथ आने को तैयार है।

पाँचवां फेरा पाँचवां वचन : इस पाँचवें फेरे में वधू कहती है कि वह यानी कि वर उससे अपने घर के सभी कार्यों में, विवाह, लेन–देन, सामूहिक आयोजनों या अन्य किसी कार्य में खर्च करते समय उसकी रजामंदी जरूर ले। यदि ऐसा है तो वह उसके साथ आने को तैयार है।

छठवाँ फेरा छठवाँ वचन : इसमें वधू कहती है कि यदि वह अपनी सहेलियों या अपने परिजनों के समक्ष बैठी है तो वह वहाँ पर उसका अपमान नहीं करेगा। इसके अलावा वह हमेशा जुआ और शराब जैसे विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसन से दूर रहने का वचन दे तो वह तैयार है।

सातवाँ फेरा सातवाँ वचन : सातवें फेरे में वधू वर से यह माँगती है कि आप कभी दूसरी स्त्रियों को नहीं देखेंगे। उन्हें हमेशा माता के समान समझेंगे। उनके आपसी रिश्ते में किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा।

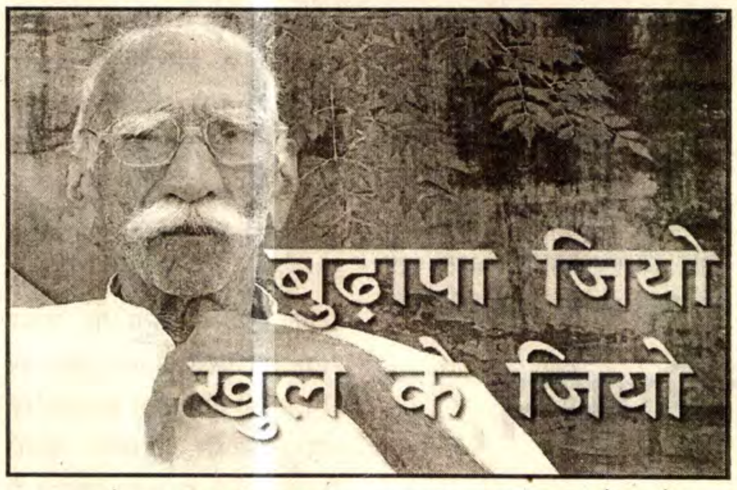

'वाह बुढ़ापा'

रश्मि अग्रवाल

देखा जाए तो यह युग अर्थ प्रधान है। अर्थ बिना आज सब सूना सा लगता है, विशेषकर बीतती आयु में। वैसे तो इस बात का ध्यान समय रहते करना चाहिए पर बहुत से वृद्ध अपनी सन्तान, मित्र व परिजनों आदि के मोह, ममत्व या प्रभाव के कारण ऐसी भूलें कर बैठते हैं, जिनके कारण दो जून, रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये भूलें वो उस अवस्था में कर जाते हैं, जब वो शारीरिक व सम्पन्नता की दृष्टि से परिपूर्ण व निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि व्यक्तित्व की भी अपनी आवाज होती है, जो आप नहीं कहते वो आपका शरीर कह देता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मन की भावनाएँ कोई न कोई अभिव्यक्ति खोज ही लेती हैं वो चाहे किसी भी अवस्था की हों।

मानव जीवन को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक अवस्था का पृथक-पृथक रूप-स्वरूप होता है पर वृद्धावस्था का स्वरूप भिन्न ही होता है क्योंकि उस अवस्था तक आते-आते व्यक्ति दुनिया के प्रत्येक रंग-ढंग को अनुभव कर चुका होता है।

हम यह जानते हैं कि सुख-दुःख इस परिवर्तनशील जगत के लिए दो तुलनात्मक जगत के लिए दो तुलनात्मक ध्रुव हैं। इसलिए हम बुढ़ापे को अभिशप्त मानते हुए 'वाह बुढ़ापा' न कहकर 'अहा बुढ़ापा' कहते हैं क्योंकि अशक्त बुढ़ापा अवस्था की अन्तिम देहरी है इसलिए हम दुःखी हैं कि अन्य हमारी व आपकी तुलना में शक्तिवान, समर्थ तथा साधन समपन्न हैं परन्तु समस्त जीवन का एक ही काल- चक्र पर आरूढ़ है तथा यही वैश्विक सत्य है कि बूढ़े होने की प्रक्रिया ही प्रकृति बहुआयामी है। यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारकों की जटिल पारास्परिक क्रिया का परिणाम है। हमारे लिए ये समझना आवश्यक है कि मनुष्यों में दीर्घायु के वंशानुक्रम का पता लगाना अत्यन्त कठिन है क्योंकि जीवनकाल सामाजिक, आर्थिक और अन्य पर्यावरणी कारकों से भी प्रभावित होता है। प्रौढ़ता की सीमाओं का प्रतिकार केवल समाजिक परम्पराओं में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है, जिससे वृद्धों की दशा को अच्छी बनाने हेतु कुछ किया जा सके।

सामान्यतः साठ या उससे अधिक की आयु के पश्चात् यह निश्चित धारणा बनी हुई है कि उस समय तक आते-आते मनुष्य की क्षमता का ह्रास होने लगता है पर ये सब प्राकृतिक योग है क्योंकि शरीर बूढ़ा तब प्रतीत होता है जब मन बूढ़ा होने लगता है यानि हम स्वयं को बूढ़ा मानने लगते हैं और इन्हीं विचारों से आत्मसात होते हुए व्यक्ति स्वयं को बोझ व अभिशप्त मानने की भूल कर बैठता है जो न स्वयं के, परिवार के और न ही समाज के लिए हितकर होता है। सच तो यह है कि अभिशाप स्वयंमेव उत्पन्न नहीं होता, वरन मनुष्य स्वयं ही बुढ़ापे को निमंत्रण देने लगता है।

यह कथन बहुत प्रचलित है कि 'ओल्ड इज गोल्ड' अर्थात जो जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है इसके पीछे का अर्थ यही है कि जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना निखर उठता है, उसी प्रकार जीवन-यात्रा के कटु-मधु अनुभवों की अग्नि में तपकर वृद्ध पूर्णतया परिपक्व हो जाता है और तब उसकी बातें, आचरण और उपदेश अन्यों के लिए बहुत कीमती सिद्ध होते हैं, बशर्ते उन्हें सुना जाए और उनका अनुसरण भी किया जाए। परन्तु आज भारत जैसे देश की मूल-संस्कृति, सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता से जोड़कर सारी सामाजिक व्यवस्थाओं व संबंधों को चलाया जाने लगा हो, जहाँ अर्थ की चकाचौंध में मानव की दृष्टि भ्रमित व धुंधला गई हो, जहाँ व्यक्तिवादी मानव ने मानवता के सघन कला पट की जड़ों को हिला दिया हो। ऐसे सामाजिक परिवेश में बुढ़ापा एक प्रश्नचिन्ह तो है ही? पर जिसे आप बुढ़ापे की संज्ञा देते हैं वहीं हमारी परिपक्व अवस्थ है, वही वह महासागर है, जहाँ पर काम, क्रोध जैसी विशाल नदियाँ आकर सम अवस्था को प्राप्त होती हैं। यही वह स्थान है जहाँ 'मैं कौन हूँ'? टूट जाता है और यह चिंतन का विषय बनता है कि 'वह कौन है'? जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है।

देखा जाए तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं एवं मन की वासनाओं की पूर्ति हेतु अपने शरीर का प्रयोग मशीन की भांति करता है। जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास ही नहीं करता बस यही आभास होता है कि हमारा जन्म, धनोपार्जन, परिवार का पालन-पोषण और मनोरंजन के लिए है और इसी लालच में अत्यधिक उत्साह से किये गये श्रम व सन्तान के मोहपास में बंधे समय से पूर्व स्नायु ढ़ीले पड़ जाने से बुढ़ापा अनुभव होने लगता है पर एक पिता जब अपने पुत्र का पालन-पोषण, शिक्षा-दिक्षा अत्यन्त स्नेह व बुढ़ापे का सहारा समझ दिलाता है और ऐसे विचारों के अंतर्गत प्रत्येक कार्य को द्रुत वेग से करना चाहता है बस जीवन की यही भागदौड़ व्यक्ति के सांसों के क्रम को बढ़ा देती है और तन रूग्ण होकर बूढ़ा हो जाता है इसलिए वृद्धों को ऐसी दिशा अपनानी चाहिए कि जिस पर चलते हुए वृद्धावस्था अभिशाप न बनकर जीने का लक्ष्य बन जाए।

इस आयु मे हमारे शास्त्रों में वर्णित योग में 'ध्यान' का महत्व भी कम नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया है कि ध्यान से हृदयरोग से ही नहीं, अपितु कई जटिल रोगों से भी मुक्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त सकारात्मक विचारों के साथ बच्चों के लिए हृदय में विस्तृत स्थान रखते हुए उनसे तालमेल बिठायें व अहंकार से दूर रहते हुए घरेलू कार्यों में भागीदारी निभायें। जीवन को एक सपने की भांति जिएं जिसके टूटने पर दुःख का अनुभव न हो और उसे सपना समझ भूल जायें। जीवन को आस की भांति जियें जो प्रेरणा दे, सागर की तरह समझें, जिसमें तरंगे आती हैं, तन-मन भिगोती हैं और फ़िर शान्त हो जाती हैं, इसलिए वृद्वावस्था को बोझ नहीं चुनौती समझकर स्वीकार करें, जीवन को ईश्वर का प्रसाद समझ भोग करें और स्वयं में स्वयं से खुशियाँ ढूंढते हुए वृद्धावस्था को सुन्दर बनाने का प्रयास करें तब ही वाह बुढ़ापा कहते हुए आपको स्वयं पर गर्व का अनुभव होगा।

जिला बुलन्दशहर से अखिल भारत हिन्दू महासभा को प्राप्त दान सूची मास सितम्बर 2017

1.	शैलेन्द्र जौहरी, एड़वोकेट, चैम्बर नं०-10 गौड़ बिल्डिंग, डी० एम० रोड़, बुलन्दशहर (४५ वीं वर्षगाँठ पर दान)	200/-
2.	उदयन सक्सेना पुत्र रमेश चन्द वैदिक द्वारा वीर सावरकर पुस्तकालय एवं वाचनालय, 18/186, टीचर्स कॉलोनी बुलन्दशहर-203001 (18 वीं वर्ष गाँठ पर दान)	100/-
3.	सतीश चन्द गोयल, पूर्व अध्यापक (75वीं वर्षगाँठ पर दान)	101/-
	टोटल	401/-

इन्द्रदेव गुलाटी, बुलन्दशहर

जिला बुलन्दशहर से हिन्दू सभा वार्ता का शुल्क मास सितम्बर 2017

1.	के० सी० दर्गन, अपना बाजार, समस्तीपुर बाजार, एस० ओ० समस्तीपुर-848101 (बिहार) (वार्षिक)	150/-
2.	एम० एल० के० (पी० जी०) कॉलेज बलरामपुर-271201 (आजीवन)	1200/-
3.	लाल बहादुर शास्त्री (पी० जी०) कॉलेज मुगलसराय-232101 (चन्दौली) उ० प्र० (आजीवन)	1200/-
4.	दीपक गोयल पुत्र सतीश चन्द गोयल पूर्व अध्यापक, 771/15, आदर्श नगर, बुलन्दशहर (नवीनीकरण शुल्क 2017-18)	150/-
5.	राजेश कुमार गोयल, गंगा मार्केट, अन्सारी रोड़, बुलन्दशहर-203001 (वार्षिक)	150/-
6.	ठाकुर अनिल कुमार गौर, 21, तुलसी मार्केट, काला आम, बुलन्दशहर (नवीनीकरण शुल्क 2017-18)	150/-
7.	सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम-सतवरा, डाक०- दानपुर जिला-बुलन्दशहर 202392	150/-
	टोटल	3150/-

इन्द्रदेव गुलाटी, बुलन्दशहर

अंधभक्ति का दुष्परिणाम, विवश प्रशासन व पीड़ितजन

✍ विनोद कुमार सर्वोदय

यह अत्यंत दुखद है कि गुरु–शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति का अटूट भाग है। प्रायः सामान्य भोले–भाले व अशिक्षित या कम शिक्षित ही इस परंपरा में अधिक सक्रिय होते रहें है। समाजिक जीवन में पुरुषों की जीवनयापन के लिये धनोपार्जन की अधिक व्यस्तता के कारण अधिकांश महिलाएं ही गुरु बना कर उनसे भजन–कीर्तन व सत्संग आदि से जुड़ी रहती है। इस प्रकार सामान्य लोग अपने को धर्म कार्य से जोड़ कर संतुष्टि पाते है। अधिकांशतः महिलाये एक–दूसरे के संपर्क में

आकर किसी भी प्रचलित या प्रसिद्ध गुरु की शिष्या सरलता से बन जाती है। इसके अतिरिक्त परिवार सहित भी इस परंपरा को अपनाया जाता आ रहा है। गुरु बनाते समय ऐसे सामान्य लोगो में तथाकथित गुरु के चरित्र, आचरण, योग्यता, आध्यात्मिक स्तर व धर्मग्रंथो के ज्ञान आदि के प्रति कोई प्रश्न उत्पन्न ही नही होता? फिर भी इन तथाकथित धर्मगुरुओं के प्रति अत्यधिक आकर्षण बढ़ता जा रहा है और भोले भाले लोग बिना सोचे समझे इस अंधश्रद्धा भक्ति में जुड़ कर अपने को धन्य समझते है। परंतु क्या इस प्रकार भेड़–चाल से शिष्य बनना सार्थक हो सकेगा? यहां एक बात अवश्य स्पष्ट है कि इस पद्धति से कुछ गुरुओं के पास अकूत सम्पत्ति एकत्रित होने से भी अनेक सम्पन्न व अभावग्रस्त लोग इनके अंधभक्त बन जाते है। जैसे जैसे यह अंधभक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऐसे गुरुओ में अहंकार के साथ साथ मानसिक दुर्बलता के कारण समाजिक बुराइयां भी आ जाती है।

ऐसे अनेक धर्मगुरु पहले भी समाजिक भावनाओं का दोहन करते रहें है और अब बाबा रामरहीम भी ऐसे ही गुरुओं की श्रेणी में आ गये है। उनके दुश्चरित व विलासतापूर्ण जीवन को अपराध की श्रेणी में लाकर रामरहीम के कुकर्मो से एक पीड़ित साध्वी ने अपने १६–१७ वर्षो की घुटन से मुक्ति पाकर उन लाखों–करोड़ों लोगों पर भी उपकार किया है जोकि नासमझी में बाबा के अंधभक्त बने हुए है। जिस प्रकार २००२ में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी को अपनी लगभग १९९९ से २००२ तक के शारीरिक उत्पीडन आदि की व्यथा लिख कर गुमनाम पत्र द्वारा पीड़िता ने न्याय की आशा की थी वह अब सार्थक हो रही है। इसके लिये सीबीआई के तत्कालीन अधिकारी श्री एम.नारायण भी बहुत ही बधाई के पात्र है। परंतु यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि सीबीआई कोर्ट के निर्णय आने के बाद अंधभक्तो ने हिंसात्मक उपद्रव करके वातावरण को भयावह बनाने में कोई कसर नही छोड़ी और शासन–प्रशासन बेबस हो गया।

ऐसे में यह अत्यंत विचारणीय है कि जब राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव में पुलिस सहित अन्य सुरक्षाकर्मी भी असहाय हो जाते है तो भीड़ के उपद्रवों को रोक पाना भी कठिन हो जाता है। यह बड़ी कठिन संविधानिक व्यवस्था है कि सुरक्षाबलों को जब तक सत्ता का सुख भोग रहें राजनेताओं का आदेश नही मिलेगा तब तक वे आगजनी व तोड़फोड़ और अन्य हिंसक कार्यवाही करने वाली भीड़ पर कोई भी कार्यवाही न करने के लिये बाध्य है। क्या भविष्य में जब कभी आधुनिक हथियारों से लैस जिहादियों की भीड़ किसी भी स्थान पर कभी भी कोई आतंकी हमला करेगी तो सामान्य नागरिक अपने जान–माल की सुरक्षा कैसे कर पायेगा ?

अतः ऐसी स्थिति में जैसा कि पंचकूला आदि अनेक नगरों में बाबा गुरमीत सिंह (रामरहीम) को साध्वी के यौन शोषण में न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किये जाने के बाद बाबा के भक्तों की भीड़ ने जिस प्रकार एकजुट होकर हिंसा का नंगा नाच करके अराजकता फैलाई है और प्रशासन आम नागरिकों के जान–माल की सुरक्षा में असमर्थ रहा तो असहाय सामान्य नागरिक क्या करें?

इसे शासन–प्रशासन की भूल या गलती कहना वास्तविकता को छिपाना होगा। जब यह सुनिश्चित था कि बाबा गुरमीत के समर्थक (अंध भक्त) हजारो–लाखों की संख्या में उसके मुख्य कार्यालय सिरसा के आश्रम में एकत्रित हो गये और यह संभावना भी थी कि विपरीत परिस्थितियों में ये अंधभक्त सामान्य क्षेत्रो, मार्गो व बाजार आदि में हिंसा भडका कर जान–माल की भारी हानि अवश्य पहुचायेंगें। इसीलिए सरकार ने धारा १४४ लगाई व जगह जगह नाकेबंदी भी की थी। परंतु क्या यह सब दिखावा रहा। किसी भी अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा १४४ के उल्लंघन पर कोई प्रतिक्रिया नही देखी गई।क्या उन्हें इस धारा के नियमों का ज्ञान नही जिसमें स्पष्ट है कि ५ व्यक्ति से अधिक एक साथ कही भी कोई एकत्रित नही हो सकता और न ही कोई सभा या जुलूस आदि निकाला जा सकता? लगभग ८०० गाड़ियों का एक भारी भरकम जत्था जब जुलूस के रुप में आरोपी के साथ चलें तो क्या सारा प्रशासन कबूतर के समान आंख बंद करलें और आने वाले संकट को भगवान भरोसे छोड़ दें।

क्या सत्ताधारी राजनेताओं को बाबा रामरहीम जैसे आधुनिक व भोग विलासी गुरु के चरित्र और चाल पर कोई संदेह ही नही था? क्या प्रशासन कठोरता न बरतते हुए अपनी चुनावी जीत का संभावित कारण बनें बाबा का कोई ऋण तो नही उतार रहें थे? यह विचित्र है कि ३–४ दिन से ही सुरक्षा के प्रबंधों की भरपूर तैयारी का निरंतर इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार होता रहा परंतु अवसर आने पर बिना गोली की बंदूक बन कर रह गया। जिस कारण ऐसी संकटकालीन मानवीय आपदा में सामान्य नागरिको के जान–माल की सुरक्षा भी असंभव हो गई। परिणामतः जैसी संभावना थी पंचकूला सहित देश के ५–६ राज्यों में जहां जहां बाबा के अंधभक्तो के ठिकाने वहां वहां हिंसा का नंगा नाच होने से अभी तक के समाचारो के अनुसार अरबो की संपत्ति स्वाहा हुई और ३०–४० लोगों की जीवन लीला भी समाप्त हुई है। जबकि १५० के लगभग निर्दोष नागरिक घायल भी है।

यह दुःखद है कि सत्ता भोगी अपने उत्तरदायित्व का संविधान के अनुसार पालन क्यों नही करते? विशेषतौर पर जब हरियाणा में बार बार कानूनी व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जा रहा हो तब भी त्रुटि होती रहें तो यह क्षमा योग्य कैसे हो सकती है? पूर्व में हुए शेष पृष्ठ 11 पर

रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ

भारत में मानवाधिकार के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। आतंकी याकूब मेमन के अधिवक्ता रहें प्रशांत भूषण इन रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों की वकालत करके इनको यहां मानवता के नाम पर बसाना चाहते है। परंतु क्या यह कोई सुनिश्चित कर सकता है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में घुसपैठ करके बंग्लादेशी घुसपैठियों के समान जिहाद के अंतर्गत आतंक व अपराध को बढ़ावा नही देंगें? जबकि हम पहले ही करोड़ों बंग्लादेशी घुसपैठियों के आतंक को झेल रहे है जिसके कारण हमारी न्यायायिक व्यवस्था बार बार सरकार से इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिये भी परामर्श देती आ रही है। फिर भी हम इन रोहिंग्या घुसपैठियों को स्वीकार करके मानवता के नाम पर आतंक व अपराध की समस्याओं को ही बढ़ावा दें तो यह भूल नही आत्मघाती होगा। जरा सोचो ये मुस्लिम म्यंमार से क्यों भाग रहें है? इन्होने वहां के बौद्ध व अन्य धर्म के नागरिकों को अपनी जिहादी सोच के कारण वर्षो से आतंकित कर रखा है। वहां के एक बौद्ध भिक्षु विराथू ने जब इनकी मानसिकता को समझा तो उन्होने शांतिप्रिय होते हुए भी अपने राष्ट्र व नागरिकों के अस्तित्व की रक्षा के लिये इन आतंकियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये सभी को प्रेरित किया। अभी भी वहां ये मुस्लिम आतंकी रक्षाबलों के ठिकानों पर व सामान्य क्षेत्रों में भी आक्रमण करने से पीछे नही हट रहें है। अनेक आतंकी संगठन वहां के स्थानीय मुसलमानों का सहयोग करके जिहाद के लिये सक्रिय है। ऐसी जिहादी मानसिकता वाले रोहिंग्या मुसलमानों को हम अपने यहां शरण दें तो हम भविष्य में इनके द्वारा और अधिक जिहादी संकट को कैसे रोक पायेंगे? जबकि हम अपने ही लाखों कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में उनके ही नगरों में उन्ही की संपत्तियों में पुनः स्थापित करने में जिहादियों के कारण ही असमर्थ हो रहें है। क्या मानवतावादियों को उदार व सहिष्णु हिंदुओं की पीड़ा द्रवित नही करती? क्या सभी मानवतावादियों को मानवता का सर्वनाश करने वाले इन आतंकियों के ही मानवाधिकार की चिंता होती है? अतः अवैध रुप से रह रहें रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना और भविष्य में म्यंमार से भाग कर आने वालों का प्रवेश वर्जित करना सरकार व हम सब का दायित्व है। इसके लिये सरकार को कठोर निश्चय लेने के लिये विवश करना होगा। आपको स्मरण होगा कि पिछले ३–४ वर्षो से सीरिया–ईराक आदि के इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से भयभीत होकर वहां से भागे लाखों शरणार्थियों को यूरोप आदि के विभिन्न देशों ने शरण दी थी। परंतु इन शरणार्थियों के साथ साथ अनेक कट्टरपंथी जिहादी भी उन देशों में घुस गए थे जिससे वहां भी इन आतंकियों ने अपना जिहाद नही छोड़ा। जिससे दुखी होकर शरणार्थियों के प्रवेश को कई देशों ने प्रतिबंधित कर दिया। एक और दुखद व समझने वाला विषय यह है कि इन शरणार्थियों घुसपैठियों को अरब आदि मुस्लिम देश सामर्थ होने पर भी कभी शरण नही देते। अतः हमको यह सुनिश्चित करना होगा व सरकार को भी चेताना होगा कि किसी भी प्रकार मानवता के नाम पर भी इन मुस्लिम शरणार्थियों घुसपैठियों को शरण न दी जाये।

विनोद कुमार सर्वोदय

भारतीय संविधान की विसंगतियाँ

अश्विनीकुमार ओझा

भारतीय संविधान विश्व के सभी देशों के संविधानों से विस्तृत एवं विशाल है। वह २२ भागों में विभक्त एवं ३९५ अनुच्छेदों (कुल ४४४ अनुच्छेद) में समाहित है। इसके अतिरिक्त १२ अनुसूचियों को जोड़ा गया है। अथक प्रयासों के पश्चात् यह २६ नवम्बर, १९४९ को तैयार हुआ और २६ जनवरी, १९५० को लागू किया गया। इसकी प्रारूप समिति में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं डॉ. बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वान् अधिवक्ता सम्मिलित थे; किन्तु फिर भी संविधान में कुछ विसंगतियाँ रह गई हैं, जिनका लाभ उठाकर कभी–कभी दोषी व्यक्ति भी निर्दोष सिद्ध हो जाता है और निर्दोष व्यक्ति को भी सजा हो जाती है।

भारतीय संविधान विस्तृत एवं जटिल होने के कारण कठिन है। भाषा इतनी क्लिष्ट है कि सामान्य मनुष्य को समझने के लिए विधि सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है। इसी का परिणाम है कि जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में करोड़ों मुकदमे विचाराधीन हैं। उच्चतम न्यायालय भी इससे अछूता नहीं है। इसीलिए भारतीय संविधान को विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कुबेर का कोश कहा गया है।

भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची के अन्तर्गत अनुच्छेद १२ से ३५ तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार सहित छह प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और संविधान द्वारा इनको प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही गई है; किन्तु कतिपय मौलिक अधिकार संविधान लागू होने के प्रारम्भ से ही विवादित हैं; क्योंकि बौद्धिक वर्ग द्वारा मौलिक अधिकारों की स्वार्थपूर्ण ढंग से व्याख्या की जाती रही है और उसी प्रकार उसका उपयोग किया जाता रहा है।

अनुच्छेद १९ में देश के नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है; किन्तु विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस सीमा तक होनी चाहिए, इस पर प्रायः बहस होती रही है। इसको संवैधानिक बताते हुए बौद्धिक वर्ग द्वारा इसका प्रायः दुरुपयोग किया जाता है। कभी–कभी मानहानि की स्थिति को लेकर मामला न्यायालय तक पहुँच जाता है और मामले के निस्तारण में वर्षों लग जाते हैं। तब तक परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हो जाने के कारण व्यक्ति उस मानहानि से प्रभावित हो चुका होता है।

अनुच्छेद १४ में जहाँ एक तरफ देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद ३० में अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान करते हुए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उसके प्रशासनिक प्रबन्धन का अधिकार दिया गया है। सरकार उनके इस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन तथा प्रबन्धन में कोई प्रभावी हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। इस प्रकार यह समानता के अधिकार के विरूद्ध है।

संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह भी नहीं कहा गया है कि किसी राज्य में किसी समुदायविशेष की कितने प्रतिशत जनसंख्या होने पर अल्पसंख्यक माना जाएगा। क्या इसकी सीमा ४९ प्रतिशत तक मानी जाएगी? ध्यान देने योग्य है कि कतिपय राज्यों, जम्मू–कश्मीर में हिन्दुओं की जनसंख्या का प्रतिशत मुस्लिम अथवा अन्य समुदाय की जनसंख्या से कम है; किन्तु उन राज्यों में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित एक निर्णय में संविधान–रचना के समय मुस्लिम–समुदाय की जनसंख्या को देखते हुए अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था; किन्तु सम्प्रति इस समुदाय की जनसंख्या के प्रतिशत को देखते हुए इसे अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है।

देश के सभी ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद २१–ए में है तथा इसे समवर्ती सूची में रखकर केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों को इसका दायित्व दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संचालित शिक्षण संस्थान यथा नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि हैं जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ उच्चकोटि एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थान, यथा प्राइमरी विद्यालय, उच्च प्राइमरी विद्यालय, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, राज्य महाविद्यालय तथा राज्य विश्वविद्यालय हैं, जहाँ समुचित सुविधाओं का अभाव है और शिक्षा की गुणवत्ता में भी दिन–प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है; क्योंकि राज्य सरकारें शिक्षा–नीति अपने स्तर से बनाती हैं और लागू करती हैं। फलस्वरूप वे केन्द्रीय शिक्षा–नीति से तालमेल नहीं बना पातीं और इसी का परिणाम है कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थानों में आज दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित एवं शोचनीय है। इस समय शिक्षा की दशा को देखते हुए शिक्षा के अधिकार को केन्द्र सूची में रखना अधिक समीचीन होता। ध्यातव्य है कि राज्य सरकार को इन विद्यालयों के संचालन एवं अध्यापकों के वेतन हेतु लगभग ८० प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

अनुच्छेद ५१–ए में ११ प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है; किन्तु संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों का पालन बाध्यकारी नहीं है। इसका दायित्व देश के जिम्मेदार नागरिकों पर छोड़ दिया गया है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का पालन बाध्यकारी न बनाने का परिणाम इनकी अवहेलना के रूप में बार–बार हमारे सामने आता रहता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश में कहा गया है कि देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाये और राष्ट्रध्वज पर्दे पर दिखाया जाये। राष्ट्रगान के समय सभी व्यक्ति खड़े होकर राष्ट्रगान गायें।

संविधान में देश के सभी नागरिकों से मौलिक कर्तव्य के रूप में अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रीय पर्व १५ अगस्त एवं २६ जनवरी पर ध्वजारोहण के समय राष्ट्रगान हो; किन्तु इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया है; किन्तु किसी उत्सव या सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रगान के समय बाधा पहुँचाने पर ३ वर्ष की सजा का प्रावधान है। हमारे देश के नागरिक संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रति बहुत ही सजग एवं चैतन्य हैं; किन्तु बात जब मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की आती है, तब अग्रिम पंक्ति में कोई भी खड़ा दिखाई नहीं देता है।

भारतीय संविधान में देश के किसी भी नागरिक को अपने घर अथवा कार्यालय पर भारतीय ध्वज को राष्ट्रीय पर्व १५ अगस्त एवं २६ जनवरी के अतिरिक्त अन्य दिनों में फहराने का अधिकार नहीं दिया गया था और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से नागरिकों को घर अथवा कार्यालय पर सामान्य दिनों में भी भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

संविधान के अस्थायी अनुच्छेद ३७० का प्रावधान करते हुए जम्मू–कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है, जिसके द्वारा इस राज्य का अपना संविधान है और अपना ध्वज है। वहाँ के कानून के अनुसार जम्मू–कश्मीर राज्य का निवासी ही राज्य में सम्पत्ति खरीद सकता है। इस प्रकार संविधान की मूल भावना–एक भारत, एक ध्वज को चोट पहुँची है। इस अनुच्छेद का प्रावधान अस्थायी रूप से किया गया था; किन्तु आज तक किसी भी सरकार ने इस अस्थायी प्रावधान को हटाया नहीं, जो एक बड़ी विसंगति है।

कालान्तर में संविधान में संशोधन करके 'सेकुलर' नामक आयातित शब्द जोड़ा गया और इसका हिन्दी रूपान्तरण धर्मनिरपेक्ष शब्द रखा गया। इस प्रकार इसे परिभाषित करते हुए कहा गया कि राष्ट्र के द्वारा किसी भी धर्म को समर्थन न देना अर्थात् सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव रखना। यहाँ पर धर्म का तात्पर्य संकीर्ण विचारधारा से ग्रस्त होकर 'उपासना–पद्धति' ग्रहण करके भारी भूल की गई। इसका अभिप्राय सभी व्यक्तियों के धर्मों के प्रति समभाव लिया जाना चाहिए था। वेदों में कहा गया है 'धारयति इति धर्मः' अर्थात् मनुष्य को जो धारण करे वही उसका धर्म है। अगर कोई व्यक्ति कृषि कार्य करता है, तो कृषि कर्म उसका धर्म है। व्यवसायी का व्यवसाय उसका धर्म है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी मनुष्य द्वारा किये जा रहे उसके कर्म से है। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने मनुष्यों का वर्गीकरण उनके गुण और कर्म के आधार पर किये जाने की बात कही है।

संविधान में सन् १९५० देश की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए एंग्लो इंडियन समुदाय के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु लोकसभा की दो सीटों पर मनोनयन की व्यवस्था की गई है। मतदान के समय इस समुदाय के लोग गोवा तथा केरल आदि राज्यों जहाँ इस समुदाय की जनसंख्या बहुत अधिक है, बढ़–चढ़ कर भाग लेते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। सम्प्रति समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण उक्त मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।

देश की गरिमामय संसद का सदस्य होने के लिए संविधान में कोई

शेष पृष्ठ 11 पर

हिन्दू अस्तित्व, संकट और समाधान

प्रो० ए०पी० सारस्वत

(पिछले अंक का शेष)

आतंकवाद नहीं 'मुस्लिम विस्तारवाद'

भारत के किसी नागरिक की तुलना में कश्मीर के लोगों की सुख–सुविधा के लिए भारत सरकार कई गुना खर्च करती है। वहाँ की मुस्लिम सरकार हिन्दू बहुल जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख पर नाममात्र का खर्च कर पूरी राशि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में खर्च कर डालती है, पर **हिन्दू और बौद्ध आतंकवादी नहीं होते, आतंकवादी होते हैं मुसलमान। असमानता, राजनीतिक धोखाधड़ी व अनुशासनहीनता का परिणाम न होकर यह मजहब की शिक्षा और संस्कार का परिणाम है। सारी दुनिया में आतंकवाद का पर्याय बने मुसलमान इस बात को सही सिद्ध करते हैं। मुस्लिम आतंकवाद का मजहबी विधान के अनुसार विरोध न कर पूरा मुस्लिम समुदाय आतंकवाद का ही समर्थन करता है।**

''कश्मीरी हिन्दुओं के आगे आगे ही विकल्प थे–इस्लाम कबूल करो अथवा कश्मीर छोड़ कर पलायन कर जाओ।

क्रूरता का प्रदर्शन युद्ध का एक कूटनीतिक हथियार है, जो वीभत्सता यह उत्पन्न करता है, उससे मारे गये लोगों की संख्या से कहीं अधिक बाकी लोग भयाक्रांति होते हैं। मनोवैज्ञानिक हथियार के तौर पर इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है।

सन् १००० में अफगानिस्तान की विजय के बाद वहाँ की समस्त हिन्दू व बौद्ध जनता की हत्या कर दी गई। वह स्थान आज भी 'हिन्दूकुश' यानी 'हिन्दू विनाश' के नाम से जाना जाता है। बहमनी सुल्तानों ने मध्य भारत में प्रतिवर्ष एक लाख हिन्दुओं की हत्या करने पर एक नियम बना रखा था, इसी प्रकार की हत्याओं के फलस्वरूप सन् १००० और १५२५ के बीच हिन्दुओं की जनसंख्या ८ करोड़ घट गई थी। (एराइज, ओ इंडिया! पृ. ४६–५०)

आज भी विश्व भर में अधिकांश युद्धों की जड़ में इस्लाम है, जैसे–अफगानिस्तान, अलजीरिया, बाली, बोस्निया, चैचनिया, साइप्रस, इथोपिया, जॉर्जिया, इजरायल, कश्मीर, कोसोवा, लेबनान, नाइजीरिया, फिलिपाइन्स, सूडान, सिक्यांग और टिमोर। ये लड़ाइयाँ कुरान की शिक्षाओं में अंतरनिहित हैं। (प्रसंगवश इन देशों में साम्प्रदायिक हिन्दू नहीं हैं, जिन्हें दंगा–फसाद, आतंकवाद, जातियों की सफाई, जन–संहार और बर्बर हत्याकाण्डों के लिए दोषी ठहराया जा सके)

भारत में आतंकवाद

भारत में निकट भविष्य में विध्वंस का खूनी खेल बड़े पैमाने पर खेलने की योजना बन रही है, जैसा पिछली सदी में मालाबार में मोपलों का उपद्रव और देश विभाजन के समय पंजाब और बंगाल में तथा देश के अनेक हिस्सों में अनगिनत दंगों के रूप में देखा गया। अभी–अभी जो कश्मीर में सम्पन्न हुआ तथा जम्मू–लद्दाख, हैदराबाद और देश के अन्य हिस्सों से छिटपुट शुरु हो चुका है तथा शीघ्र ही जो सारे देश में फैलने वाला है।

इस्लाम के विस्तार के लिए और भारत को 'दारुल इस्लाम' बनाने के लिए भारत के मुसलमान लुक–छिप कर विदेशी मुस्लिम देशों की सहायता से भारत को कमजोर करने, मुस्लिम जनसंख्या का विस्तार करने और जेहाद की तैयारी की व्यापक कार्यवाई में जुट गये हैं। उदारवादी सेक्युलर संविधान और वोट के लालची, अनैतिक, अदूरदर्शी एवं सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों के सहयोग से वे आसानी से सत्ता हथियाने, फिर शरीयत कानून लागू करने और पूरी आबादी को बलात् धर्मान्तरित करने की अपनी योजना पर काम कर रहे हैं।

दंगों में अकारण ही असंगठित, असावधान और अनजाप हिन्दुओं को मुसलमानों द्वारा काट डाला जाता था। मुसलमानों का एक निश्चित मजहबी विधान है कि काफिर हिन्दुओं को मिटा डालना है, इसके लिए उनके निश्चित जेहादी कार्यक्रम हैं। वे उसके लिए सदा सचेत, संगठित और सशक्त बने रहने के प्रयास में रहते हैं तथा मौका मिलते ही कार्यवाई कर बैठते हैं।

फिलहाल, देश विभाजन के बाद से भारतीय क्षेत्र में परिस्थिति पूरी तरह उनके अनुकूल नहीं होने के कारण वे विवशता में बड़े पैमाने पर जेहादी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक शांत समुदाय की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। पर अपने जेहादी कार्यक्रम को लागू करने के लिए अंदर ही अंदर उनकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है, जैसे ही परिस्थिति उनके अनुकूल होगी सारे देश को खून की दरिया में डुबो देने में उन्हें समय नहीं लगेगा।

मुम्बई में १९९३ में अनेक विस्फोट कर ८०० लोगों की जान ले ली गई। तबसे लेकर आज तक वहाँ अनेक विस्फोट हुए हैं–ट्रेनों, में, बसों में, बाजारों में और सैकड़ों लोग मौत के मुँह में समा गये, **मुस्लिमों द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ,** इसके विरोध में कोई फतवा जारी नहीं हुआ। मुम्बई, अक्षरधाम (अहमदाबाद) और जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला कर सैकड़ों की जान ले ली गई। पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर हमला कर उनकी हत्याएं की गईं। गोधरा काण्ड में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में तेल छिड़क कर ५६ रामभक्त पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को जिन्दा जला दिया गया। भारत की संसद पर दिनदहाड़ें हमला हुआ, संयोग से वे सफल नहीं हुए वरना सभी मंत्री सांसद बंधक बन चुके होते। जम्मू कश्मीर में रोज–रोज आतंकवादी हत्याएं हो रही हैं। छिटपुट घटनाएं देशभर में रोज घट रही हैं। **यही जेहाद है, जेहाद चल रहा है। पूरे देश को आतंकित कर एक साथ इसके चपेट में लेने की जोरदार तैयारी चल रही है।**

(शेष अगले अंक में)

व्रतोत्सव प्रदर्शिका

मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष

व्रत, पर्व, त्यौहार (उत्सव)	तिथि	वार	दिनाँक
❖ इष्टः, मेला बटेश्वर समाप्त, मन्दिरों में देवदर्शन समयपरिवर्तन, मृगछोड़ीस्नान प्रारम्भ, द्वितीयाक्षयः	१/२	रविवार	०५.११.२०१७
❖ भद्रा १४:३६ से २४:५६ तक, सौभाग्यसूचक रोहिणीव्रत, स०सि०यो०, अ०सि०यो० १६:५५ से	३	सोमवार	०६.११.२०१७
❖ चतुर्थीव्रत, चन्दोदय २०:४१, अडारकी श्रीगणेश चतुर्थीव्रत (गुरू उदय)	४	मंगलवार	०७.११.२०१७
❖ श्रीॐ मायानन्द चैतन्य जयन्ती	५	बुधवार	०८.११.२०१७
❖ भद्रा १६:४२ से २७:४६ तक, र०यो० १३:३८ से स०सि०यो०, अ०सि०यो० १३:३८ से,	६	वीरवार	०९.११.२०१७
❖ श्री महाकाल भैरवाष्टमी, भैरवसमुत्पत्तिः, चैहल्लुम मुस०, रवियोग १२:३५ तक	७/८	शुक्रवार	१०.११.२०१७
❖ अष्टमीः	८	शनिवार	११.११.२०१७
❖ भद्रा २४:३४ से, राष्ट्रीय जनप्रसारणदिवस	९	रविवार	१२.११.२०१७
❖ भद्रा १२:२५ तक, श्री महावीर स्वामी दीक्षादिवस जैन,	१०	सोमवार	१३.११.२०१७
❖ उत्पत्ति एकादशी व्रत सर्वेषाम्, चाचा नेहरूजयन्ती (बाल दिवस)	११	मंगलवार	१४.११.२०१७
❖ प्रदोषव्रत, आखरीचहारशाम्बा, स०सि०यो० १३:४५ तक	१२/१३	बुधवार	१५.११.२०१७
❖ भद्रा १४:०६ से २६:४६ तक, वृश्चिक में सूर्य १२:२२, संक्रान्ति मु० ३०, बडंग व सौर मार्गशीर्ष प्रारम्भ, मासशिवरात्रि व्रत, तेजीमंदी सूचकांक २५६४, आकाशदीप–दान यक्ष समाप्त	१३/१४	वीरवार	१६.११.२०१७
❖ मेला० पुरमण्डलदेविकास्नान (जम्मूकश्मीर) श्री बालाजी जयन्ती, लालालाजपतराय पुण्यतिथि	१४	शुक्रवार	१७.११.२०१७
❖ अन्वा०, देवपितृकार्येऽमा पुण्यः, सहादतेइमामहसन, मेला शनिशिंगणापुर	३०	शनिवार	१८.११.२०१७

क्या इस देश में बहुसंख्यक होना अपराध है?

डा० विवेक आर्य

आजकल हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति का अपने विदाई भाषण में दिया गया बयान कि भारत में मुस्लिम भयभीत हैं, चर्चा में है। उनका यह बयान कांग्रेस की अल्पसंख्यक के नाम पर बरगलाने की पुरानी नीति का अनुसरण मात्र है। भारत के मुसलमानों को इतना भयभीत करो कि वह सेकुलरता के नाम पर कांग्रेस को वोट करे। उनकी इसी नीति का परिणाम यह निकला कि देश के हिन्दुओं ने संगठित होकर भाजपा को वोट दिया। जिससे कांग्रेस की बुरी दशा हो गई। इस लेख का उद्देश्य राजनीति नहीं, अपितु यह दर्शाना है कि मुसलमानों को रिझाने के नाम पर हमारे राजनेताओं ने क्या –क्या किया। पढ़ने वालों की आँखें खुल जाएंगी। हमारे संविधान में मुसलमान, ईसाई, सिख जैन, बौद्ध और पारसी को मुख्य रूप से अल्पसंख्यक माना गया है। यह परिभाषा गलत है। कश्मीर और उत्तरपूर्वी राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। फिर भी उसे कोई अल्पसंख्यक वाली सुविधा नहीं मिलती, जबकि एक मुसलमान को कश्मीर में और एक ईसाई को नागालैंड मं बहुसंख्यक होते हुए भी सभी अल्पसंख्यक वाली सुविधाएँ मिलती हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अल्पसंख्यक के नाम पर मलाई केवल गैर हिन्दुओं के लिए हैं। पाठक सोच रहे होंगे कि मैं इसे मलाई क्यों बोल रहा हूँ। आप पढ़ेगे, तो आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी।

अल्पसंख्यक के नाम पर सुविधा की सूची

१. एक हिन्दू अगर कोई शिक्षण संस्थान खोलता है, तो उसे उस संस्थान की २५ प्रतिशत सीटों को अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित रखना होता है, जहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग को नाम मात्र की फीस देनी होती है। जबकि हिन्दू छात्रों को भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। अर्थात् अल्पसंख्यक को हिन्दू अपने जेब से पढ़ाता है।

२. किसी भी अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान खोलने के लिए सरकार ६५ प्रतिशत आर्थिक सहयोग करती है, जबकि किसी हिन्दू को अपने संस्थान को खोलने के लिए आसानी से लोन तक नहीं मिलता। अल्पसंख्यक संस्थान ऐसी/एसटी/ ओबीसी के अनुपात में शिक्षकों की भर्ती के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। जबकि एक हिन्दू संस्थान को सरकारी नियम के अनुसार अध्यापकों की भर्ती अनुपात में करनी होती है। अर्थात् किसी भी मुस्लिम या ईसाई संस्थान के १०० प्रतिशत शिक्षक मुस्लिम या ईसाई हो सकते हैं। वहाँ पर कोई भी हिन्दू शिक्षक कभी नौकरी पर रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह सरकारी सुविधा National Commissioner For Minority Education Institutions (NCMEI) के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी जाती है। UPA सरकार के कार्यकाल में हजारों मुस्लिम या ईसाई संस्थानों को अनुमति दी, जबकि हिन्दू संस्थानों को अनुमति के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े।

३. २०१४–२०१५ में ५,५०,००० अल्पसंख्यक छात्रों को कक्षा पहली से दसवीं तक ११०० करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया।

४. इसी काल में ११ वीं से पीएचडी तक ६०५३२० अल्पसंख्यक छात्रों को ५०१ करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया।

५. इसी काल में टेक्निकल शिक्षा के लिए १३८७७० अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स की कोचिंग के लिए १५०० से ३००० रुपये का अनुदान दिया गया।

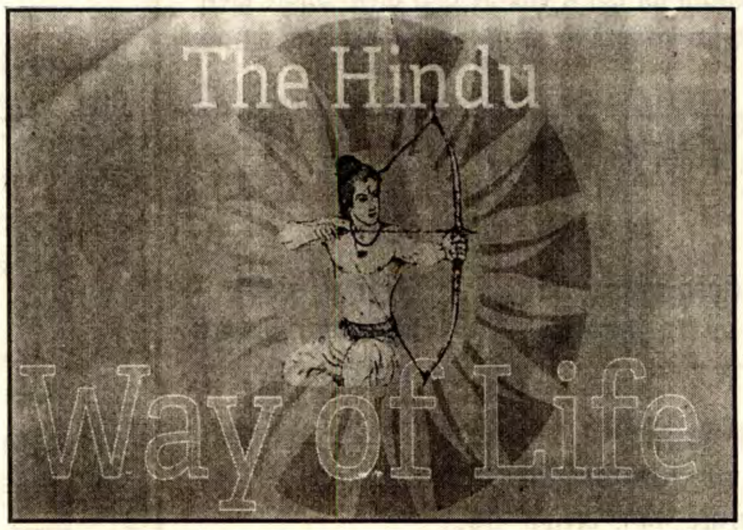

वर्तमान सरकार ने यह अनुदान दुगुना कर दिया है।

६. २०१५–२०१६ में मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप के नाम पर ७,५०,००० अल्पसंख्यक छात्रों को पीएचडी और एम. फिल के लिए ५५ करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया।

७. UPSE और SPSC के prelim में प्रवेश पाने पर ५०००० से २५००० रुपये तक का सहयोग अल्पसंख्यक छात्रों को दिया गया।

८. पढ़ो–पढ़ाओं अभियान के अंतर्गत विदेश में शिक्षा के लिए पीचडी और Mphil के लिए ५५ करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये।

९. नई मंजिल अभियान के अंतर्गत मोदी सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले २५००० बच्चों की शिक्षा के लिए १५५ करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये।

१०. बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा ११वीं और १२वीं की ४८००० छात्राओं को ५७ करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये।

११. बैंक से लोन व्यवस्था में भी अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार प्राप्त है। रोजगार के लिए ३० लाख तक लोन केवल ८ प्रतिशत (पुरुषों के लिए) और ६ प्रतिशत (महिलाओं के लिए) दिया जाता है।

१२. शिक्षा लोन व्यवस्था में भी अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार प्राप्त है। प्रोफेशनल शिक्षा के लिए देश में २० लाख और विदेश में ३० लाख का लोन केवल ४ प्रतिशत (छात्रों के लिए) और ३ प्रतिशत (छात्राओं के लिए) दिया जाता है।

१३. इसे अतिरिक्त अल्पसंख्यक युवाओं को Vocational Training Scheme, Marketing Assistance Scheme, Mahila Samridhi Yojana and Grant in Aid Assistance Scheme आदि योजनाओं के अंतर्गत विशेष लाभ दिया जाता है।

१४. जिन जिलों में अल्पसंख्यक की जनसंख्या २० प्रतिशत से ऊपर है। उन्हें विशेष रूप से धन दिया जा रहा है। एक जिले में अगर कोई ब्लॉक ऐसा है, जिसमें २५ प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक की जनसंख्या है। तो वे भी इस सुविधा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे देश में ७१० ब्लॉक और १६६ जिलों का चयन केंद्र सरकार द्वारा १२ वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया है। इन जिलों पर सरकार अल्पसंख्यक विकास के नाम पर हर वर्ष १००० करोड़ रुपये खर्च करती है। सोचिये अगर हिन्दू बहुत गरीब पिछड़ा हुआ जिला या ब्लॉक है, तो उसे केवल हिन्दू होने के कारण यह लाभ नहीं मिलेगा।

१५. सीखो सिखाओ, उस्ताद, नई रोशनी, हमारी धरोहर अल्पसंख्यक महिलाओं और वक्फ बोर्ड के लिए विशेष रूप से चलाई गई योजनाएं है।

१६. हिन्दुओं को इस प्रकार की किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता। इसके विपरीत सरकार द्वारा हर समृद्ध और बढ़े हिन्दू मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया गया है। वहाँ से प्राप्त होने वाला धन और दान सरकार अपने कोष में पहले जमा करती है। फिर उसी धन को ईसाई चर्च ओर मस्जिद–मदरसों के विकास पर खर्च करती है। ईसाई चर्च और मदरसों को विदेशी से मिलने वाले धन पर सरकार का कोई हक नहीं है। क्योंकि अल्पसंख्यक से जुड़े मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती।

१७. हिन्दुओं के मनोबल को तोड़ने के लिए जल्लिकटु, दही–हांडी, होली, दिवाली आदि सरकार अपना हस्तक्षेप करना हक समझती है। जबकि बकरीद पर लम्बी चुप्पी धारण कर लेती है। क्योंकि अल्पसंख्यक से जुड़े मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती।

१८. हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी पहले ५०० करोड़ थी, जिसे अटल बिहारी जी की सरकार ने १००० करोड़ कर दिया था। जबकि अमरनाथ आदि यात्रा पर विशेष कर सुविधा के नाम पर लगाया जाता है।

१९. इसके अतिरिक्त सच्चर आयोग के नाम पर मुस्लिम सांसद चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, सरकार पर सदा दबाव बनाने का कार्य करते हैं। हम यह भी भूल गए कि १९४७ में देश के ही मुसलमानों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी मानसिकता शेष पृष्ठ 11 पर

पत्र

आदरणीय महोदय,

प्रणाम!

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता दिः २० सितम्बर से २६ सितम्बर २०१७ तक का समाचार पत्र प्राप्त। धन्यवाद। पत्रिका में काफी उपयोगी, प्रभावपूर्ण समाचार प्रकाशित होते हैं। आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक विषय बड़े ही उत्तम ढंग से प्रकाशित होते हैं। शिक्षा में भी भेदभाव क्यों, श्राद्ध करने के नियम को विस्तृत पूर्वक प्रकाशित किया है। प्रभावीपूर्ण ढंग से प्रकाशन हेतु मेरा साधुवाद।

भवदीय

कर्नाटक महिला सेवा समिति

ॐ कहो गर्व से, हम हिन्दू हैं ॐ

प्रतिष्ठा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार।
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-११००११

विषय : देश के गद्दारों को मताधिकार से वंचित करने व उसकी सभी सरकारी सहायता समाप्त करने की मांग।

महोदय,

आपको ज्ञात है कि देश में कई गद्दार निवास करते हैं। वे खाते तो हैं भारत की, परन्तु गाते हैं पाकिस्तान की। उन्हें भारत भूमि से कोई प्रेम नहीं है। वे हमेशा ही भारत के टूटने का सपना देखते हैं। भारतीय सेना व अर्द्धसैनिक बल के जबानों पर हमले करता है, पाकिस्तान के लिये जासूसी करता है, देश को तोड़ने के लिये दहशतगर्द व पत्थरबाज पैदा करता है। गौमाता की हत्या करता है। इसके लिये अधिक–से–अधिक बच्चे पैदा करता है। भारत–पाकिस्तान के साथ क्रिकेट या हाकी के मैच में पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाता है तथा भारत की जीत पर मातम मनाता है। ऐसे लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है।

परन्तु भारत सरकार व राज्य सरकारें ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की बजाय उसको सभी प्रकार की सुविधायें व सहायता प्रदान करती हैं। कृपया भारत की एकता, अखंडता व सार्वभौमिकता की रक्षा के लिये निम्नलिखित निर्णय तुरन्त लेने की कृपा करें:–

१. देश के गद्दारों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाये तथा उसे दी जा रही सभी प्रकार की सरकारी सहायता व संरक्षण से वंचित कर दिया जाये।

२. देश के गद्दारों व राष्ट्रविरोधियों को देश में रोजगार प्राप्त करने, व्यापार करने, अनुदान प्राप्त करने तथा बैंकों व वित्तीय संस्थानों से किसी भी प्रकार का कर्ज लेने पर पूर्ण रोक लगा दी जाये।

३. जम्मू–कश्मीर के अलगाववादी नेताओं व हुर्रियत नेताओं की सभी प्रकार की सरकारी सहायता व सुरक्षा तत्काल समाप्त कर दी जाये।

सादर

भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक)	(मुन्ना कुमार शर्मा)	(वीरेश त्यागी)
राष्ट्रीय अध्यक्ष	राष्ट्रीय महासचिव	राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

प्रतिष्ठा में,

श्री रवि शंकर प्रसाद जी,
माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,
भारत सरकार संचार भवन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-११०००१

विषय : भारतीय डाक विभाग में अंग्रेजी परस्ती।

महोदय,

उपभोक्ता भाषा समिति वाराणसी ने डाक विभाग में अंग्रेजी परस्ती और राजभाषा अधिनियम के स्पष्ट उल्लंघन के जो उदाहरण दिए हैं, उन से स्पष्ट है कि विभाग में ब्रिटिश काल के सन् १८७० के डाक नियम लागू हैं। कदाचित उस काल में भी अंग्रेजी का ऐसा खुला प्रयोग नहीं होता होगा। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री के पत्रों, पार्सलों और द्रुत डाक की पावतियां 'क' और 'ख' क्षेत्रों में भी अंग्रेजी में दी जाती हैं, भले ही उन पर विवरण हिंदी में लिखा गया हो।

बचत खातों की पासबुक में प्रविष्टियां हिंदी में नहीं की जाती। धन राशि के चेक 'क' और 'ख' क्षेत्रों में भी हिंदी में नहीं बनते। निवेदन है कि शीघ्र ठोस कार्रवाई कराने की कृपा करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक)	(मुन्ना कुमार शर्मा)	(वीरेश त्यागी)
राष्ट्रीय अध्यक्ष	राष्ट्रीय महासचिव	राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

हिन्दू समाज सावधान

यदि हिन्दू समाज अपने चारों ओर विकसित हो रही घातक परिस्थितियों की अनदेखी करता है तो यह उसकी मूर्खता होगी। एक ऐसी मूर्खता जो उसे आत्महत्या की ओर ले जा रही है।

क्या हम आत्महत्या करना चाहते हैं?

नहीं

हम स्वाभिमानी समाज की भांति जियेंगे

पर कैसे?

क्या जातिवाद, राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत अहंकार और विनाशकारी निजीत्व, हमारे अस्तित्व की रक्षा कर सकेगा?

नहीं

हम परिस्थितियों को समझें और दृढ़ता के साथ हिन्दुत्व को सबल बनायें।

यह आपका या मेरा कार्य नहीं है। ईश्वरीय कार्य है

निम्न बातों पर ध्यान दें :–

1. प्रतिदिन ईश आराधना करें।
2. मन को शान्त, विनम्र, धैर्यवान रखते हुए हिन्दुत्व के तत्त्व ज्ञान का प्रचार करें।
3. हिन्दुत्व की श्रेष्ठता से सबको अवगत करायें।
4. प्रत्येक ग्राम, कस्बे और मौहल्ले में प्रतिदिन या साप्ताहिक सामूहिक आरती की जाये। आरती समितियाँ बनें। जिसमें वंचित समाज को सम्मानजनक स्थान मिले।
5. प्रयास होना चाहिये कि प्रत्येक घर में वेद, गीता और रामायण अवश्य हो।
6. अपने बच्चों को हिन्दुत्व के संस्कार दें।
7. घर में तुलसी जी और एक फूल का पौधे अवश्य लगायें, यह किसी निष्ठावान हिन्दू के घर की पहचान होती है, साथ ही घर का वातावरण भी स्वास्थ्यवर्द्धक होता है।
8. हिन्दू धर्म में सनातन, आर्यसमाज, बौध, जैन और सिक्ख आदि आते हैं, इनके धर्म ग्रन्थों और आराध्य महापुरुषों और गुरुओं को सम्मान दें।
9. प्रत्येक माह प्रभात फेरी निकाले, वंचित समाज को प्रेरित करें कि वे मन्दिरों में प्रतिदिन आयें।
10. वंचित समाज के शिक्षित युवा भी धर्म प्रचार में लग जायें और जाति व्यवस्था को तोड़ने का अभियान में जी जान से लगें।

हिन्दू केवल हिन्दू होता है, उसकी जाति नहीं होती

धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी करेगा।

हिन्दुत्व विज्ञान की आध्यात्मिक व्याख्या है

शेष पृष्ठ 1 का

हाफिज सईद की नजरबंदी होगी.....

मामले के पूरे रेकार्ड के साथ अदालत में पेश होंगे। लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। कार्यवाही के दौरान गृह सचिव की गैर मौजूदगी से नाराज अदालत ने कहा कि महज प्रेस क्लिपिंग की बुनियाद पर किसी नागरिक को किसी विस्तारित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। न्यायाधीश सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने कहा सरकार का बर्ताव दिखाता है कि याचिकाकताओं के खिलाफ सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, अदालत के सामने अगर कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया तो याचिकाकताओं की हिरासत रद्द कर दी जाएगी। डिप्टी अटार्नी जनरल के साथ आए गृह मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में अपरिहार्य सरकारी जिम्मेदारी के चलते गृह सचिव पेश नहीं हो पाए, डिप्टी अटार्नी जनरल ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जस्टिस नकवी ने अफसोस जताया कि एक सरकारी शख्सियत के बचाव के लिए अफसरों की फौज दी गई है लेकिन अदालत की मदद के लिए एक भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने कह है कि पाकिस्तान सरकार का असली चेहरा उजागर हुआ है। सिद्ध हुआ है कि पाकिस्तान आंतक की फैक्ट्री को कभी भी बंद नहीं करेगी।

शेष पृष्ठ 9 का

क्या इस देश में बहुसंख्यक.....

के चलते लिए थे कि मुसलमान कभी हिन्दू बहुल देश में नहीं रह सकता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे देश के मुसलमानों की सेवा पर घर के जमाई के समान देश के हिन्दू कर रहे हैं। फिर भी १० वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठकर मलाई खाने के बाद भी देश के उपराष्ट्रपति (हामिद अंसारी) का बयान यही दर्शाता है कि वो उसी मानसिकता का पोषक है, जिसने इस देश का विभाजन करवाया था। यह लेख पढ़कर मेरे मन में एक ही विचार आता है कि क्या इस देश में बहुसंख्यक होना अपराध है?

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

विशेषतायें जो अन्यत्र नहीं मिलतीं

1. पत्रकारिता के उच्च राष्ट्रनिष्ठ मानकों के लिए प्रतिबद्धता
2. राष्ट्र और हिन्दुत्व को हानि पहुँचाने वाले कारकों पर पैनी दृष्टि
3. साम्प्रदायिक और पृथकतावादी सोच पर जमकर प्रहार
4. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पारदर्शी चर्चा
5. सामाजिक सरोकारों की तह तक जाकर समाधानपरक बहस
6. प्रेरक प्रसंग, महान् व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का माध्यम
7. भ्रष्टाचार, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय चिंतन पर तीखा आक्रमण

हमारा संकल्प

1. हम एक ऐसी समतामुलक राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं जहां निर्धनता का अभिशाप न हो, किसी का शोषण न हो, न्याय वनपशुओं की चेरी न बने, सब समान हों, एक दूसरे के सहयोगी हों।
2. हम एक ऐसी संस्कृतिक व्यवस्था के पक्षधर हैं जिसमें हिन्दुत्व के सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया जा सके, जिससे कि हिंसा, पाप, शोषण, विषमता और संवेदनहीनता की कालिमा से विश्व को मुक्ति मिलें।

केवल इतना ही नही, अन्य भी बहुत सी जीवनोपयोगी सामग्री।
आपका साप्ताहिक, आपकी भावनाओं का दर्पण।

-: तत्काल ग्राहक बनें :-

सदस्यता शुल्क

वार्षिक...150/- रुपये
द्विवार्षिक..300/- रुपये
आजीवन सदस्य..1500/- रुपये

ड्राफ्ट या मनीआर्डर
''हिन्दू सभा वार्ता'' के नाम भेजें।

पता :- हिन्दू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

नोट :- केवल स्थानीय चैक स्वीकार किये जाते हैं।

शेष पृष्ठ 6 का

अंधभक्ति का दुष्परिणाम.....

जाट आंदोलन के समय भी सरकार भयावह हिंसक आंदोलन के आगे विवश हो गई थी। उससे पहले एक और ढोंगी रामपाल का भी प्रसंग चुनौती भरा थां।

निसंदेह आज आम नागरिक अपनी सुरक्षा के प्रति सर्वथा सरकार के भरोसे निश्चिंत है। परंतु ऐसी परिस्थितियों में जब शासन व प्रशासन अपने अपने स्वार्थो के वशीभूत अपना दायित्व न निभाये तो आम नागरिक क्या करें? क्या भविष्य में हिंसात्मक व आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षित होने के लिए सामान्य नागरिको को कोई प्रशिक्षण नही लेना चाहिये? अतः आत्मरक्षा में सक्षम होने के लिये अनिवार्य रुप से शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लेना सामान्य नागरिको की प्राथमिकता होनी चाहिये । साथ ही संगठित होकर मरो या मारो की स्थिति में हथियार उठाने की क्षमता होनी चाहिये। हमको सोचना होगा कि जब दुर्जन एकजुट होकर हमको क्षति पहुचा सकते है तो हम क्यों नही अपनी आत्मरक्षा के लिए संगठित होकर उनके विरुद्ध कार्य करें? ऐसा करने के लिये सभी देशवासियों को हमारे देश का संविधान भी अधिकृत करता है।

शेष पृष्ठ 7 का

भारतीय संविधान की......

वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं निर्धारित की गई है। मात्र देश का नागरिक एवं २५ वर्ष की आयु का होना पर्याप्त है। इस आधार पर देश का कोई भी नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है; किन्तु सभी सांसदों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें किसी भी एक भाषा को भलीभाँति लिखना–पढ़ना आता हो, जिससे चुने गये सांसदों द्वारा संसद की गरिमा के अनुरूप आचरण किया जाये। संविधान में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए था जिससे संसद सत्र के काल में सांसदों के लिए न्यूनतम कार्य–समय निर्धारित हो सके, जिसके अभाव में सरकार द्वारा जब कोई अध्यादेश चर्चा हेतु संसद पटल पर रखा जाता है, तो उस पर सार्थक चर्चा न करके विपक्ष द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हंगामा किया जाता है, जिससे राष्ट्र का बहुमूल्य समय एवं संपत्ति नष्ट होती है। ध्यान देने की बात है कि संसद का सत्र चलाने में प्रति मिनट २६,०००/– रुपये खर्च होते हैं। चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे व्यक्ति को जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसमें अपना विश्वास व्यक्त करती है; किन्तु ऐसा देखा जाता है कि संविधान की विसंगतियों का लाभ उठाकर ये सांसद उस राजनैतिक दल से समूह में अलग होकर अपना अलग गुट बनाते हैं, जिसके कारण उस राजनीतिक दल के प्रति जनता द्वारा किया गया विश्वास टूट जाता है और जनता अपने को छला हुआ महसूस करती है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे विश्वास पर खरा न उतरने पर किसी चुने हुए प्रतिनिधि को जनता के द्वारा उसे वापस बुलाने का अधिकार दिया गया हो। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। सभी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं; किन्तु संविधान में यह व्यवस्था समझ से परे है कि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में जेल में निरुद्ध रहते हुए चुनाव में भाग लेता है और जीतने पर नियमानुसार उसे प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाता है; किन्तु वही व्यक्ति जेल में निरुद्ध रहते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद ३११ में नौकरशाही को बहुत उच्च कोटि का संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसका दुरुपयोग इस वर्ग द्वारा किया जाता रहा है। भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे लचीला संविधान है। समय और परिस्थिति के अनुसार अब तक सौ से अधिक संशोधन किये जा चुके हैं। उपर्युक्त विसंगतियों को भी दूर करके उसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

हिन्दुओं को समझना चाहिये कि

- **संस्कृत विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। उसमें शब्द संख्या 10 करोड़ है।**
- **अंग्रेजी के मूल शब्द केवल 35 हजार हैं।**
- **हिन्दी के मूल शब्द 9 लाख हैं।**
- **हिन्दी 85 करोड़ लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है।**
- **अंग्रेजी मात्र 32 करोड़ लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है।**
- **भारतीय भाषायें विश्व की सर्वाधिक सम्पन्न भाषायें हैं। इनकी रक्षा का संकल्प लें।**

जनहित में जारी :

अखिल भारत हिन्दू महासभा

विज्ञापन हेतु भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डी.ए.वी. नं.-124778
नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट करने का दिन बुधवार - बृहस्पतिवार
डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)–11/6129/2016-17-18
रजि सं. 29007/77

यह भी सच है

दस्तक–कसौटी पर देशभक्ति

अब वक्त आ गया है जब हमें देशभक्ति को नए सिरे से परिभाषित करने और समझने की जरूरत है। १५ अगस्त १९४७ के पहले अगर कोई, किसी भी मसले पर अंग्रेजों के साथ खड़ा नजर आता था तो उस पर देशद्रोही होने का इल्जाम फौरन चस्पा हो जाता था। यह हमारे दौर का सबसे ज्यादा दर्दनाक हिस्सा है कि पिछले ७० सालों से हम लगातार अंग्रेजों के साथ खड़े हैं और जरा भी शर्मसार नहीं हैं। इतिहास में किसी भी कौम की आत्मछलना का इससे बड़ा सबूत देखने को नहीं मिल सकता। अब देखिए न, हमने संविधान अंग्रेजों से लिया। हमने अंग्रेजों के संसदीय लोकतंत्र को दुनिया की सबसे आदर्श शासन प्रणाली समझकर आर्यावर्त की शस्य श्यामला धरती पर थोप दिया। संसदीय लोकतंत्र ने हमारी संसद और विधानसभाओं में दागी, अनपढ़, भ्रष्ट और लम्पट चेहरों को भेजकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अरे, हमारी कोई अपनी भाषा नहीं है, अंग्रेजी को छोड़ कर! छोटे से छोटे गाँव में अंग्रेजी स्कूल खुल गए हैं और आलम यह है कि चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियर और एमबीए कतार में खड़े हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेन्द्र मोदी तक अंग्रेजों की विरासत का यह शर्मनाक सफर जारी है। हम किस मुँह से सर उठाकर यह कह सकते हैं कि हमें अपने हिन्दुस्तानी होने पर नाज है, जब कि हमारी फौज आज भी ब्रिटिश तौर–तरीकों और परम्पराओं से संचालित हैं और जूतों से लेकर लड़ाकू हवाई जहाज हमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस से खरीदने पड़ते हैं। और तो और, आज जब एक मुकदमे के फैसले में बीस साल लग जाते हैं तो यह उस न्याय व्यवस्था के कारण है जो हमने अंग्रेजों से ली है। आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चल रहे हैं। आज भी पुलिस और अफसरशाही का जुल्म और शोषण जारी है। दोस्तों! इतिहास में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको असली और खानदानी अंग्रेज सिर्फ हिन्दुस्तान में मिलेंगे, इंग्लैंड में नहीं!

चीन का इतिहास राजतंत्र, यूरोपीय देशों और जापान के आर्थिक दोहन का इतिहास रहा है। चीन हमसे बाद में 'प्रजातंत्र' हुआ लेकिन उसने तमाम व्यवस्थाएँ अपने संसाधनों, श्रम और आबादी को केन्द्र में रखकर तय की। उसने सबसे पहले अपनी आर्थिक गुलामी के अवशेषों से निजात पाई और राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाई जिसे स्वदेशी अर्थव्यवस्था या Close Door Policy (बाहरवालों के लिए दरवाजे बंद) के रूप में परिभाषित किया गया। शिक्षा, सरकारी कामकाज, स्थानीय व्यापार आज सब कुछ चीनी भाषा में होता है। अचंभित करने वाली बात यह है कि चीन की सारी टेक्नोलॉजी चीनी भाषा में ईजाद हुई है यानि मिसाइल से लेकर खिलौने तक पूरी दुनिया में मेड इन चायना है। चीन भारत के लिए एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उभर रहा है! वहीं इंसान आजाद है जो दूसरों पर निर्भर न हो। दुनिया का इतिहास हमें बतलाता है कि वही देश ताकतवर और विकसित है जो आत्मनिर्भर है। उधार की पूँजी और उधार की टेक्नोलॉजी के सहारे भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से भागने वाली अर्थव्यवस्था का दावा करना धोखाधड़ी तो है ही, जगहंसाई भी है! कोई भी ऐसा काम, जिससे देश का पैसा बाहर जाता हो या देश का गौरव खंडित होता हो, देशद्रोह है। रहन–सहन, खान–पान और सोच–विचार में भारतीय होना ही देशभक्ति है। १९९० में हमने भारत में ग्लोबलाइजेशन के लिए दरवाजे खोले और आज हम भयानक बेरोजगारी, आर्थिक अराजकता और मानसिक गुलामी की दहलीज पर खड़े हैं। देशभक्ति की एकमात्र बुनियाद स्वदेशी अर्थव्यवस्था ही हो सकती है। जिस देश की मिट्टी में पैदा हुआ अनाज हम खाते हैं, जिस देश की नदियों और झीलों का पानी हम पीते हैं, जिस देश की हवा में हम साँस लेते हैं, उस देश का कर्ज हम पर है। इस कर्ज को चुकाने की पहली सीढ़ी है—विदेशी सामानों का बहिष्कार! बहिष्कार से बड़ी कोई मिसाल दुनिया में आज तक नहीं बनी है!!

अक्षय जैन

कबीरा खड़ा बजार में

अब तो प्रदूषण मुक्त हो ही जायेगा देश

१७२४ में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने ग्रहों की स्थिति, वक्त और दिन–रात मापने के लिए जंतर–मंतर का निर्माण कराया था। दरअसल मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति पर बहस छिड़ी हुई थी। तब समरकंद की वेधशाला से प्रेरणा लेकर जयसिंह द्वितीय ने इस उच्च वैज्ञानिक तकनीकी से संपन्न वेधशाला को बनवाया। दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन में भी ऐसी ही वेधशालाएं बनीं। ग्रह और समय की दशा–दिशा बताने वाला दिल्ली का जंतर–मंतर धीरे–धीरे लोकतंत्र की दशा–दिशा बताने लगा। यह स्थान जन आंदोलनों का साक्षी बनने लगा। शासन की नीतियों से असहमति रखने वालों, किसी तरह के अन्याय या शोषण का शिकार लोगों, हाशिए पर पड़े सैकड़ों–हजारों लोगों की मौन पीड़ा को इस जगह से आवाज मिली। यह जंतर–मंतर ही था, जहां से निर्भया कांड में इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ी गई, तेलंगाना बनाने की मांग यहां से उठी, लोकपाल लाने के लिए अन्ना हजारे ने जंतर–मंतर से आंदोलन छेड़ा, वन रैंक, वन पेंशन, किसानों की ऋण मुक्ति की मांग, गोरखालैंड के लिए नारे और अखलाक, जुनैद, गौरी लंकेश की हत्या के खिलाफ नागरिक समुदाय का आंदोलन सब जंतर–मंतर में आकर गतिमान हुए। इन आंदोलनों, विरोध–प्रदर्शनों से लोकतंत्र के ग्रह की दशा–दिशा जनता ने भी देखी और सरकार ने भी। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार एक अचूक हथियार है और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस हथियार को धार जंतर–मंतर ने दी। यूं तो यह दिल्ली के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। लेकिन यहां इतिहास के साथ–साथ हम नयी पीढ़ी की मुलाकात देश के वर्तमान से भी करा सकते हैं। उन्हें लोकतंत्र के पाठ की शिक्षा दे सकते हैं कि देखो हमारी शासन प्रणाली में विरोध के अधिकार के लिए भी सम्मानपूर्वक जगह दी गई है। अफसोस कि जंतर–मंतर से मिला यह अधिकार अब इतिहास बनने जा रहा है। दरअसल जंतर–मंतर के आस–पास रहने वाले कुछ लोगों ने यह याचिका राष्ट्रीय हरित पंचाट एनजीटी में दायर की थी कि यहां होने वाले धरना–प्रदर्शनों से ध्वनि प्रदूषण होता है, उन्हें असुविधा होती है। एनजीटी ने इस याचिका पर फैसला सुनाया कि चार हफ्ते के भीतर प्रदर्शनकारियों को जंतर–मंतर से हटाकर अस्थायी धरनास्थल रामलीला मैदान में भेजा जाए। प्रदूषण पर एनजीटी की यह सख्ती और तत्परता देखकर निश्चिंत हुआ जा सकता है कि अब देश में पर्यावरण पूरी तरह संरक्षित होगा, उसे कोई नुकसान एनजीटी नहीं पहुंचने देगी। हमारी नदियां, जंगल, घाटियां, झील–झरने, जिनका बेतहाशा दोहन और शोषण उद्योगपतियों ने किया। उन सबके खिलाफ भी एनजीटी कोई फैसला लेगी। दिन–रात काला धुआं उगलती फैक्ट्रियों को शहर से दूर भेज दिया जाएगा, सड़कों पर पुराने वाहन नहीं दौड़ेंगे। एनजीटी को पर्यावरण की चिंता है, उससे भी ज्यादा नागरिकों की चिंता है। जो लोग जंतर–मंतर पर धरना करने देश के किसी भी कोने से मुंह उठाए चले आते हैं, वे इस देश के नागरिक थोड़े ही हैं। किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, सैनिक, छात्र, महिलाएं, जो भी जंतर–मंतर पर धरना देने आते हैं, वे निहायत अनुत्पादक लोग हैं। जिनका इस देश के जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि वे जंतर–मंतर पर आकर चीखें–चिल्लाएं या रामलीला मैदान में। संसद से दूर चीखेंगे तो सत्ता की नींद में भी खलल कम पड़ेगा। जंतर–मंतर के पास रहने वाले सुविधाभोगी लोगों की सेहत भी अब सुधरेगी। रामलीला मैदान के आसपास जो लोग रहते हैं, वे तो अरसे से ऐसे शोर–शराबे के आदी रहे हैं, उनके लिए थोड़ा शोर और सही।

वीरेश त्यागी

E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org

नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट की गई डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)–11/6129/2016-17-18
रजि सं. 29007/77
साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता
दिनांक 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2017 तक

प्राप्तेषु

स्वत्वाधिकारी अखिल भारत हिन्दू महासभा के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मुन्ना कुमार शर्मा द्वारा स्कैन 'एन' प्रिन्ट, 115, कीर्ति नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली मुद्रित तथा हिन्दू महासभा भवन, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित। दूरभाष 011-23365138, 011-23365354
E-mail : akhilbharat_hindumahasabha@yahoo.com, editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org
सम्पादक : मुन्ना कुमार शर्मा, प्रबंध सम्पादक : वीरेश कुमार त्यागी

इस पत्र में प्रकाशित लेख व समाचारों की सहभागिता, संपादक-प्रकाशक की नहीं है। सम्पूर्ण विवादों का न्यायिक क्षेत्र नई दिल्ली है।